स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
के
संस्था–अंतर्नियम

अंतर्नियम 1

1. इन अंतर्नियमों के अंतर्गत, यदि कोई चीज विषयवस्तु अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो तो :–

व्याख्या धारा कंपनी''
(क) ''कंपनी'' का आशय है ''दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.''।

अधिनियम''
(ख) ''अधिनियम'' का आशय है कंपनी अधिनियम 1956।

राष्ट्रपति''
(ग) ''राष्ट्रपति'' का आशय है ''भारत के राष्ट्रपति''।

निदेशक''
(घ) ''निदेशक'' का आशय है कंपनी के तत्कालीन निदेशक।

अध्यक्ष''
(ड़) ''अध्यक्ष'' का आशय है कंपनी के तत्कालीन निदेशक मंडल के अध्यक्ष।

कार्यालय''
(च) ''कार्यालय'' का आशय है कंपनी का तत्कालीन पंजीयित कार्यालय।

मुहर''
(छ) ''मुहर'' का आशय है कंपनी की मुहर।

मंडल''
(ज) ''कंपनी के संबंध में निदेशक मंडल अथवा मंडल'' का आशय है कंपनी का निदेशक मंडल

पूँजी''
(झ) ''पूंजी'' का आशय है कंपनी के लिए किसी समय एकत्र की गई अथवा एकत्र करने हेतु प्राप्तिकृत पूंजी।

लाभांश''
(ञ) ''लाभांश'' में बोनस शामिल है ।

निष्पादक अथवा ''प्रशासक''
(ट) ''निष्पादक'' अथवा ''प्रशासक'' का आशय है वह व्यक्ति जिसने किसी सक्षम न्यायालय से रिक्त प्रमाण पत्र अथवा प्रशासन पत्र प्राप्त कर लिया है।

लिखित में'' अथवा लिखित''
(ठ) ''लिखित में'' तथा ''लिखित'' में मुद्रण, शिलामुद्रण तथा अन्य वे सभी साधन शामिल हैं जो शब्दों को दृश्य रूप से दर्शाते अथवा प्रस्तुत करते हैं।

''मास''
(ड) ''मास'' का आशय है पंचांग मास।

''व्यक्तियों''
(ढ) ''व्यक्तियों'' में व्यक्तियों के अलावा निगम तथा फर्म भी शामिल हैं।

''विनियम''
(ण) ''कंपनी के विनियमों'' का आशय है कंपनी के प्रबंध के लिए उस समय लागू विनियम।

पंजी''
(त) ''पंजी'' का आशय है अधिनियम के अनुसार रखी जाने वाले सदस्यों की पंजी।

अंतर्नियमों में अभिव्यक्तियों का अर्थ वही है जो अधिनियम में है''।
(2) यदि प्रसंगानुसार अन्यथा आवश्यक न हो, तो इन अंतर्नियमों में प्रयुक्त अन्य शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

एकवचन में बहुवचन शामिल है।
(3) एकवचन में प्रयुक्त शब्दों में उनका बहुवचन और बहुवचन वाले शब्दों में उनका एकवचन शामिल है।

पुल्लिग में स्त्रीलिंग शामिल है।
(4) पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्दों में उनका स्त्रीलिंग शब्द शामिल है।

हाशिये की टिप्पणी तथा संकेत पंक्ति
(5) यहां उल्लिखित हाशिए का टिप्पणियों तथा संकेत पंक्ति का इसकी रचना पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

अंतर्नियम 2

तालिका 'क' लागू नहीं

(1) अधिनियम की अनुसूची 1 की तालिका 'क' में उल्लिखित विनियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

(2) कंपनी के प्रबंध के लिए तथा उसके सदस्यों और प्रतिनिधियों के पालनार्थ जो विनियम होंगे वे वहीं होंगे जो इन अंतर्नियमों में उल्लिखित हैं किन्तु कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अथवा अनुमत किसी विशेष विनियम द्वारा उनका निरसन अथवा इनमें परिवर्तन अथवा परिवर्धन करने की कानूनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं।

निजी कंपनी

**अंतर्नियम 3

हटा दिया है।

शेयर

अंतर्नियम 4

पूंजी

****कंपनी की पूंजी 200,00,00,000* रुपए (दो सौ करोड़ रुपए) है जो 10–10 रुपए (दस रुपए प्रत्येक) के 20,00,00,000 (बीस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभक्त है, बशर्ते कि कंपनी अपने बहिर्नियमों की शर्तों में परिवर्तन करके अपनी शेयर पूंजी की राशि में जितना उचित समझे, वृद्धि कर सकती है और अधिनियम की धारा 94 में निर्धारित ढंग से नए शेयर जारी कर सकती है।

***अंतर्नियम 5

शेयरों का आबंटन

शेयर निदेशक मंडल के नियंत्रण में रहेंगे जो उन्हें उन शर्तों अथवा निबंधनों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे तथा इसके आगे उल्लिखित उपबंधों के अधीन आबंटित अथवा अन्य किसी प्रकार से निपटा सकता है। बशर्ते यह कि शेयरों को मंगाने का विकल्प या अधिकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को आम सभा में कंपनी की मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा।

अंतर्नियम 6

कंपनी द्वारा न्यास के आधार पर शेयर धारण करने अथवा किसी शेयर में किसी साम्यिक, प्रासंगिक भावी अथवा आंशिक हित को मान्यता न देना

कानून की आवश्यकताओं को छोड़कर, कंपनी न्यास के आधार पर किसी शेयर को धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को मान्यता नहीं देगी तथा कंपनी किसी शेयर में किसी साम्यिक, प्रासंगिक, भावी अथवा आंशिक हित को अथवा शेयर के किसी प्रभाजित भाग में निहित हित को अथवा (इन अंतर्नियमों अथवा अन्य प्रकार से कानूनी के उपबंधों को छोड़कर) किसी शेयर के संबंध में पंजीकृत धारक के संपूर्ण शेयर पर पूर्ण अधिकार के अलावा अन्य किसी अधिकार को मानने के लिए न तो बाध्य होगी और न उसे बाध्य ही किया जा सकेगा (चाहे उसकी उसे सूचना हो)।

*आरम्भ में पूंजी एक करोड़ रुपए तक थी जो कि बाद में इस प्रकार बढ़ाई गई :–
1958–59 – पांच करोड़ रुपए तक
1970–71 – पन्द्रक करोड़ रुपए तक
1982–83 – तीस करोड़ रुपए तक
*शेयर रु 100 से रु. 10 तक उप विभाजित 31.1.92 को हुई विशेष आम सभा में यथा संशोधित।
**31.1.92 को हुई विशेष आम सभा में अंगीकृत विशेष संकल्प के अनुसार हटाया गया।
***29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित।
****26.09.2007 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित।

अंतर्नियम 7

पंजीकृत सदस्य तीन महीने के अंदर शेयर प्रमाणपत्र पाने का अधिकारी

वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजी में सदस्य के रूप में दर्ज है, आबंटन के दो महीने बाद अथवा अंतरण के पंजीयन हेतु आवेदन की प्राप्ति के एक महीने के अंदर (अथवा ऐसी अन्य अवधि के अंदर जैसा कि जारी करने की शर्तों में प्रावधान है):– प्राप्त करने का हकदार होगा :–

(क) अपने सभी बिना भुगतान शेयरों हेतु विपणन योग्य लॉटों में एक या अधिक शेयर प्रमाण–पत्र या

(ख) पहले प्रमाणपत्र को छोड़कर प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाण पत्र के लिए एक रुपया शुल्क देकर प्रत्येक अथवा अधिक शेयरों के लिए बहुत से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक प्रमाणपत्र कार्पोरेशन मुद्रांकित होगा और वह जिन शेयरों से संबंधित उसका तथा उन पर प्रदत्त राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(3) बहुत से व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए शेयर अथवा शेयरों के लिए एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने को कंपनी बाध्य नहीं होगी तथा शेयर प्रमाणपत्र की अनेक संयुक्त धारकों में से किसी एक को सुपुर्दगी ऐसे सभी धारकों के लिए पर्याप्त मानी जाएगी।

अंतर्नियम 8

फीस अदा करने पर शेयर प्रमाण पत्र का नवीयन

यदि शेयर प्रमाण पत्र विकृत, गुम अथवा नष्ट हो गया है तो उसका पचास पैसे की फीस अदा कर देने तथा उन शर्तों पर, जिन्हें निदेशक उचित समझें, जैसे साक्ष्य तथा क्षतिपूर्ति देने तथा साक्ष्य की जांच में कंपनी के होने वाले खर्च के भुगतान करने पर नवीयन किया जा सकता है।

अंतर्नियम 8 (क)

1. प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण ।

परिभाषाएं: हितकारी स्वामी से अभिप्रायः है वह व्यक्ति जिसका नाम इस प्रकार डिपॉजिटरी में दर्ज है।

"सेबी" का अर्थ है प्रतिभूतियाँ और भारतीय विनिमय बोर्ड।

"डिपॉजिटरीज" एक्ट से अभिप्रायः है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 जिसमें इसके लागू होने में समय–समय पर परिवर्तनों सहित।

उप नियमों से अभिप्रायः है डिपॉजिटरीज एक्ट की धारा 26 के अधीन समय–समय पर बनाए गए उप नियम।

डिपॉजिटरीज से अभिप्रायः है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन परिभाषित के अनुसार।

सदस्य से अभिप्रायः है कि कंपनी के शेयरों का समय–समय पर विधिवत पंजीकृत धारक और इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति, जिसका नाम डिपाजिटरी के रिकार्ड में हितकारी स्वामी के रूप में दर्ज है, शामिल है।

प्रतिभागी से अभिप्रायः है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 (क) के अधीन पंजीकृत व्यक्ति।

*29.9.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित
**20.12.2001 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

रिकार्ड में पुस्तकों के रूप में रखा गया कम्प्यूटर से संग्रहीत या डिपाजिटरीज एक्ट से संबंधित सेबी द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथा निर्धारित रिकार्ड शामिल हैं।

विनियम से अभिप्रायः है सेबी द्वारा बनाए गए विनियम।

प्रतिभूति से अभिप्रायः है सेबी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रतिभूति। एकवचन शब्दों में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन शामिल हैं।

व्यक्यिों को संकेतित शब्दों में निगम शामिल है ।

प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो अधिनियम में परिभाषित नहीं है किन्तु डिपाजिटरीज एक्ट में परिभाषित का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उन्हें सौंपा गया है।

2. कंपनी का डिपॉजिटरीज एक्ट के अधीन अभौतिकीकृत प्रतिभूतियों में रुचि पहचानना, या तो कंपनी या निवेशक, डिपॉजिटरी में इलैक्ट्रानिक रूप में प्रतिभूतियों (शेयरों सहित) को जारी करने, व्यापार करने या धारण करने के लिए विकल्प ले सकते हैं और उनके बारे में प्रमाणपत्र अभौतिकीकृत होंगे जिसमें संबंधित पार्टियों के अधिकार व दायित्व तथा उससे संबंधित मामले या उसके अनुषंगी कार्य, डिपॉजिटरीज एक्ट के प्रावधानों, जैसा कि समय–समय पर संशोधित या उसका कोई वैधानिक अंतरण या उसके पुनर्नियमन द्वारा अधिकृत होगा।

3. प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण इन अनुच्छेदों में किसी भी बात के प्रतिकूल या निहित असंगति के बावजूद, कंपनी, अपनी वर्तमान प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत करने, डिपॉजिटरीज में रखी अपनी प्रतिभूतियों के पुनः भौतिकीकरण करने और/अथवा डिपॉजिटरीज एक्ट और उसके अधीन बताए गए नियम यदि कोई हो, के अनुसार अपनी नई प्रतिभूतियों को ऑफर करने के लिए पात्र होगी।

4. प्रतिभूति प्रमाण पत्र प्राप्त करने या डिपॉजिटरी में प्रतिभूति धारण करने का विकल्पः कंपनी की प्रतिभूतियों की सदस्यता लेने वाले या प्रतिभूतियों धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिभूति प्रमाण पत्र प्राप्त करने या डिपॉजिटरी में प्रतिभूतयाँ धारने का विकल्प होगा । यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभूति डिपॉजिटरी में धारण करने का चयन करता है तो कंपनी, ऐसी डिपॉजिटरी को प्रतिभूति के आबंटन का ब्यौरा देगी और/सूचना मिलने पर, डिपॉजिटरी आबंटिती का नाम अपने रिकार्ड में प्रतिभूति के हितकारी स्वामी के रूप में दर्ज करेगी।

5. डिपॉजिटरीज में प्रतिभूतियों का फंगीबल रूप में होना : डिपॉजिटरी द्वारा धारण की गई सभी प्रतिभूतियां अभौतिकीकृत और फंगीबल में रूप होंगी :

   डिपॉजिटरी पर उसके द्वारा हितकारी स्वामियों की ओर से धारित प्रतिभूतियों के संबंध में एक्ट की धारा 153, 153(ए), 153(8), 187(बी), 187(सी) और 372 में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा।

6(क) डिपॉजिटरीज और हितकारी स्वामियों के अधिकार :

   इन अनुच्छेदों पर एक्ट में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए, डिपॉजिटरीज को उसके द्वारा हितकारी स्वामी की ओर से प्रतिभूति के स्वामित्व के अंतरण के प्रभावित करने के उद्देश्यों हेतु पंजीकृत स्वामी माना जाएगा।

6(ख) (ए) में अन्यथा रूप में किए गए प्रावधान को छोड़कर प्रतिभूतियों के पंजीकृत स्वामी के रूप में डिपॉजिटरीज के पास उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के बारे में अन्य कोई मताधिकार नहीं होगा।

6(ग) कंपनी की प्रतिभूतियाँ धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकार्ड में हितकारी स्वामी के रूप में दर्ज है, कंपनी का सदस्य माना जाएगा। प्रतिभूतियों का हितकारी स्वामी सभी अधिकारों और हितों का हकदार होगा तथा अपनी प्रतिभूतियों (जो एक डिपॉजिटरी द्वारा धारण की गई हैं, के बारे में सभी देयताओं के लिए जिम्मेवार होगा,

7. हितकारी स्वामी का पूर्ण स्वामी माना जाना : सक्षम अधिकार क्षेत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश या जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित हो, के सिवाय, कंपनी को यह हक होगा कि वह उस व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर में या किसी शेयर के धारक के सदस्यों के रूप में दर्शाया गया है या जहां डिपॉजिटरी के रिकार्ड में शेयरों के हितकारी स्वामी के रूप में नाम दर्ज है उसका पूर्ण स्वामी मानेगी तथा तदनुसार किसी बेनामी ट्रस्ट या समतुल्य को आकस्मिक भविष्य या किसी शेयर में (आंशिक रुचि या केवल इसके सिवाय जैसा कि इन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा कथित रूप से प्रदत्त है) किसी शेयर के बारे में किसी अधिकार जो उसके पूर्ण अधिकार के अलावा हो इन अनुच्छेदों के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति के हिस्से में यदि या इसने इस पर व्यक्त या समाविष्ट ध्यान नहीं दिया है, किन्तु बोर्ड को अपने पूर्ण विवेक से किसी शेयर को किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों के या उनके किसी उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को संयुक्त नामों से पंजीकृत करने का अधिकार रखता है।

8. डिपॉजिटरी का सूचना देना : प्रत्येक डिपॉजिटरी कंपनी को प्रतिभूतियों के हितकारी स्वामी के नाम में अंतरण के बारे में ऐसे अन्तरालों में और ऐसे ढंग से जैसे उप नियमों और कंपनी द्वारा उस बारे में निर्दिष्ट हो, सूचना देगी।

9. किसी व्यक्ति द्वारा सरेंडर करने पर प्रमाण पत्रों का रद्द किया जाना : किसी व्यक्ति द्वारा सरेंडर किए जाने पर प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर, जिसने किसी प्रतिभागी के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ करार किया है, कंपनी ऐसे प्रमाण पत्र रद्द करेगी और अपने रिकार्ड में डिपॉजिटरी का नाम उन्हीं प्रतिभूतियों के बारे में पंजीकृत स्वामी के रूप में स्थानापन्न करेगी तथा डिपॉजिटरी को भी तदनुसार सूचित करेगी।

10. किसी प्रतिभूति के सबंध में बाहर होने का विकल्प : यदि कोई हितकारी स्वामी किसी प्रतिभूति के संबंध में डिपॉजिटरी से बाहर होना चाहता है, हितकारी स्वामी डिपॉजिटरी को तदनुसार सूचित करेगा। डिपॉजिटरी यथोपरि सूचना मिलने पर अपने रिकार्ड में उपयुक्त प्रविष्टि करेगा तथा कंपनी को सूचित करेगा। कंपनी डिपॉजिटरी से सूचना मिलने के तीस दिनों के अंदर ऐसी शर्तों के पूरा होने पर तथा ऐसी फीस के भुगतान पर जो निर्धारित की जा सकती है, हितकारी स्वामी को या ट्रांसफरी को, जैसा भी मामला हो, प्रतिभूतियों का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

11. दस्तावेजों की सर्विस : इस अधिनियम या अनुच्छेदों में निहित कुछ भी प्रतिकूल होते हुए, जहां प्रतिभूतियां एक डिपॉजिटरी में धारित की गई हैं, हितकारी स्वामित्व के रिकार्ड ऐसी डिपॉजिटरी द्वारा कंपनी को इलैक्ट्रानिक माध्यम से या फ्लापी या डिस्क द्वारा सुपुर्द किए जा सकते हैं।

12. डिपॉजिटरी में रखे गये शेयरों पर लागू होने वाले अनुच्छेदों का प्रावधान : इन अनुच्छेदों में विशेष रूप से किए गए प्रावधान को छोड़कर, शेयरों, मांगों, शेयरों पर ग्रहण अधिकार, शेयरों के जब्तीकरण तथा शेयरों के अंतरण और संचरण के संयुक्त धारकों से संबंधित प्रावधान, डिपॉजिटरी में रखे गए शेयरों पर उसी रूप में लागू होंगे जैसे वे डिपॉजिटरी एक्ट के प्रावधानों के अधीन भौतिक रूप में रखे शेयरों पर लागू होते हैं।

13. डिपॉजिटरी की लेन–देन की प्रतिभूतियों का आबंटन : अधिनियम या इन अनुच्छेदों में कुछ भी होने के बावजूद, जहां प्रतिभूतियों का डिपॉजिटरी द्वारा लेन–देन किया जाता है, कंपनी उसका ब्यौरा ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन पर डिपॉजिटरी को तुरन्त सूचित करेगी।

14. डिपॉजिटरी में रखी प्रतिभूतियों की स्पष्ट संख्या : पूंजी में शेयर अपने कई वर्गों के अनुसार प्रगतिशील रूप में अंकित होंगे, तथापि, यह कि प्रगतिशील अंकन से संबंधित प्रावधान कंपनी के उन शेयरों पर लागू नहीं होगी जो अभौतिकीकृत है या भविष्य में अभौतिकीकृत हो जाएँगे या भविष्य में अभौतिकीकृत रूप में जारी होंगे। यहां पहले से उल्लिखित ढंग को छोड़कर कोई शेयर उप विभाजित नहीं होंगे। भौतिक रूप में रखा प्रत्येक जब्त किया या सरेंडर किया गया शेयर उसी संख्या को धारण करेगा जिसके द्वारा वह मूल रूप में पहचाना गया था।

15. सदस्यों का रजिस्टर और सूची : कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर जो भी निर्धारित हो, सदस्यों का रजिस्टर और सूची धारा 150 और 151 तथा एक्ट के अन्य प्रावधानों के अनुसार भौतिक या अभौतिकीकृत रूप में किसी भी माध्यम में रखे शेयरों के ब्यौरे सहित जैसा कि इलैक्ट्रानिक माध्यम के किसी भी रूप सहित कानून द्वारा अनुमत हो, रखेगी। डिपॉजिटरीज एक्ट, 1996 की धारा ।। के अधीन डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए गए हितकारी स्वामियों के रजिस्टर और सूची, एक्ट के उद्देश्य हेतु, जैसा भी मामला हो, सदस्यों के रजिस्टर और सूची भी माने जायेंगे। कंपनी के पास भारत से बाहर किसी भी राज्य या देश के निवासियों के लिए उस राज्य या देश में सदस्यों का रजिस्टर रखने की शक्ति होगी।

16. अंतरण का रजिस्टर : कंपनी, अंतरणों का रजिस्टर रखेगी और उसमें भौतिक रूप में रखे गए किसी भी शेयर के प्रत्येक अंतरण या संचरण का ठीक और स्पष्ट ब्यौरा दर्ज करवाएगी।

17. इस अनुच्छेद का ओवर राइडिंग प्रभाव : किसी अन्य अनुच्छेदों से कुछ भी प्रतिकूल होते हुए, इस अनुच्छेद के प्रावधान ओवर राइडिंग प्रभाव रखने वाले माने जाएंगे।

ग्रहण अधिकार

अंतर्नियम 9

कंपनी का परमोच्च ग्रहण अधिकार

कंपनी का प्रत्येक सदस्य के नाम में पंजीकृत (चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप में) सभी शेयरों (पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों को छोड़कर) और उनकी बिक्री से प्राप्त लाभ पर पहला और परमोच्च ग्रहण अधिकार होगा। ऐसे शेयरों के बारे में एक निश्चित समय में मांगे गये या देय सभी पैसों के लिए (चाहे वे वर्तमान रूप में देय हो या नहीं) और किसी भी शेयर में न्यायसंगत रुचि उत्पन्न नहीं की जाएगी सिवाय ऐसी टिप्पणी और शर्तों के कि अनुच्छेद 6 पूर्ण

रूप से प्रभावी होगा और ऐसे ग्रहण अधिकार का ऐसे शेयरों के बारे में समय–समय पर घोषित सभी लाभांशों और बोनसों पर भी लागू होगा। जब तक कि अन्यथा रूप से सहमति न हो शेयरों के अन्तरण का पंजीकरण इस प्रकार के शेयरों पर कंपनी के ग्रहण अधिकार के अधित्याग के रूप में कार्य करेगा। निदेशक किसी भी समय किन्हीं भी शेयरों को इस खंड के प्रावधानों से आंशिक या पूर्ण रूप से छूट दे सकते हैं।

ख. एक ही व्यक्ति के नाम पंजीयत सभी शेयरों पर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं हैं) उसके द्वारा अथवा उसकी संपदा से कंपनी को वर्तमान में देय सभी धन के लिए।

परन्तु निदेशक मंडल किसी भी समय इस धारा की व्यवस्था से किसी भी शेयर को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मुक्त कर सकता है।

2. कंपनी का किसी शेयर पर ग्रहणाधिकार उस पर देय सभी लाभांशों पर भी लागू होगा।

अंतर्नियम 10

कंपनी के ग्रहणाधिकार अधीन शेयरों की बिक्री :

कंपनी को अपने ग्रहणाधिकाराधीन शेयर/शेयरों को मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेचने का अधिकार है।

परन्तु निम्नलिखित मामलों में उसकी बिक्री नहीं की जाएगी :–

(क) यदि जिस रकम के संबंध में उसका ग्रहणाधिकार है वह वर्तमान में देय नहीं है अथवा

(ख) शेयर के फिलहाल पंजीयित धारक अथवा उसकी मृत्यु अथवा उसके दिवालिया हो जाने के कारण उसके हकदार व्यक्ति को वर्तमान में देय राशि, जिस पर ग्रहणाधिकार विद्यमान है, के भुगतान के लिए लिखित रूप से सूचित करने अथवा उससे मांग करने के नोटिस भेज देने के बाद चौदह दिन की अवधि समाप्त नहीं हुई है।

कंपनी के ग्रहणाधिकाराधीन शेयरों की बिक्री

अंतर्नियम 11

1. इस तरह की गई बिक्री को कार्यान्वित करने के लिए मंडल किसी व्यक्ति को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि वह बेचे गए शेयर को खरीददार के नाम अंतरित कर दे।

2. इस तरह के अंतरण में समाविष्ट क्रेता शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत होगा।

3. क्रेता पर क्रय धन के अनुप्रयोग को देखने का बंधन नहीं होगा तथा शेयरों की बिक्री संबंधी प्रक्रिया में किसी अनियमितता अथवा अवैधानिकता का उसके स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अंतर्नियम 12

1. बिक्री से होने वाली संप्राप्ति को कंपनी प्राप्त करेगी और उसे शेयर के वर्तमान में देय राशि के उस अंश के भुगतान में अनुप्रयुक्त करेगी जिसके लिए उसे ग्रहणाधिकार प्राप्त है।

2. अवशिष्ट राशि, यदि कोई हो, बिक्री से पूर्व शेयरों के ऐसे अंश के ग्रहणाधिकार के लिए सुरक्षित रखकर, जो वर्तमान में देय नहीं है, उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जो बिक्री की तारीख पर उन शेयरों का अधिकारी था।

शेयरों (की अदत्त राशियों) के लिए मांगें

अंतर्नियम 13

मंडल मांग कर सकता है

1. मंडल समय–समय पर, सदस्यों से उनके शेयरों की अदत्त राशियों के संबंध में (शेयरों के अंकित मूल्य के हिसाब में अथवा बढ़ौती के रूप में) तथा उनके आबंटन के अनुसार नियत समयों पर न दी गई राशियों के लिए मांगें प्रस्तुत कर सकता है। बशर्ते कोई भी मांग शेयर के अंकित मूल्य की एक चौथाई राशि से अधिक की नहीं होगी अथवा वह अंतिम पूर्ववर्ती मांग के भुगतान हेतु निश्चित तारीख से एक महीने से कम अवधि पर देय नहीं होगी। (हालांकि, यह उपबंध किया जाता है कि निदेशक समय–समय पर स्वविवेक से किसी मांग के भुगतान हेतु नियत अवधि को बढ़ा सकते हैं तथा सभी सदस्यों अथवा ऐसे किसी सदस्य के लिए जो दूर रहने अथवा अन्य कारणों की वजह से निदेशकों की दृष्टि से समय में बढ़ोतरी पाने के पात्र हो सकते हैं, अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अवधि का यह बढ़ाया जाना किसी सदस्य का अधिकार नहीं होगा अपितु यह उस पर किया गया अनुग्रह होगा या दी गई रियायत होगी)।

निदेशक समय बढ़ा सकते हैं

मांग पर अदायगी

2. प्रत्येक सदस्य को कम से कम चौदह दिनों का ऐसा नोटिस, जिसमें भुगतान की तिथि अथवा अवधि तथा स्थान का उल्लेख हो, पाकर नोटिस में निर्दिष्ट तिथि अथवा अवधि तथा स्थान पर उसके शेयरों पर मांगी राशि का कंपनी को भुगतान करना होगा।

प्रतिसंहरण का मण्डल को विवेकाधिकार

3. मंडल विवेकाधिकार का प्रयोग करके किसी भी मांग का प्रतिसंहरण अथवा स्थानान्तरण कर सकता है।

अंतर्नियम 14

मांग कब कहलाएगी

कोई मांग उस समय की गई मानी जाएगी जब मंडल ने मांग को प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित किया था तथा जिसे किस्तों द्वारा अदा करने के लिए कहा जाए।

अंतर्नियम 15

मांगों पर संयुक्त और पृथक देयता

किसी शेयर के संयुक्त धारक तत्संबंधी सभी मांगों के भुगतान के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

अंतर्नियम 16

ब्याज

1. किसी शेयर के लिए मांगी गई राशि यदि उसके भुगतान के लिए नियत दिन से पहले अथवा उसी दिन अदा नहीं की गई तो वह व्यक्ति, जिससे राशि देय है, भुगतान हेतु नियत दिन से वास्तविक भुगतान के दिन तक की अवधि के लिए पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अथवा मंडल द्वारा निर्धारित किसी नीची दर से ब्याज देगा।

ब्याज से छूट

2. मंडल को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे किसी ब्याज के भुगतान से पूर्णतः अथवा आंशिक छूट प्रदान कर दे।

अंतर्नियम 17

आबंटन अथवा नियत तिथि पर अथवा देय तिथियों पर देय राशि

1. कोई राशि जो शेयर जारी करने की शर्तों द्वारा आबंटन पर अथवा किसी नियत तिथि पर, चाहे शेयर के अंकित मूल्य के हिसाब में अथवा शेयर पर बढ़ौती के रूप में, देय हो जाती है वह, इन विनियमों के लिए, बाकायदा की गई एक मांग मानी जाएगी और उस तिथि पर देय होगी जिस तिथि पर शेयर जारी करने की शर्तों द्वारा वह देय होती है।

भुगतान न करने पर ब्याज

2. इस तरह की किसी राशि के भुगतान न किए जाने पर, इन विनियमों के ब्याज तथा खर्चों की अदायगी, जब्ती तथा अन्य प्रासंगिक उपबंध लागू हो जाएंगे क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि वह राशि बाकायदा की गई तथा अधिसूचित मांग की वजह से मानो देय हो गई है।

**अंतर्नियम 18

अनमांगी शेयर पूंजी का स्वैच्छिक पेशगी भुगतान

क. यदि कोई सदस्य उसके द्वारा धारित किसी शेयर पर अनमांगे तथा अदत्त धन का पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से पेशगी भुगतान करना चाहता है तो मंडल, यदि उचित समझे वह पेशगी भुगतान प्राप्त कर सकता है।

अनमांगी शेयर पूंजी के पेशगी भुगतान पर ब्याज

ख. इस तरह के संपूर्ण पेशगी धन पर अथवा उसके एक अंश पर मंडल ब्याज दे सकता है (जब तक कि वह पेशगी वर्तमान में देय राशि न हो जाए) जिसकी दर, जब तक कि कंपनी की सामान्य सभा कोई अन्य निर्देश न करे, मंडल तथा पेशगी भुगतान करने वाले सदस्य के बीच तयशुदा किन्तु छः प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी तथा निदेशक जब चाहें उक्त सदस्य को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर पेशगी राशि को लौटा सकते हैं।

"मांगों के लिए पेशगी अदा की गई राशि से लाभांश या कंपनी के लाभों में भागीदारी का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाएगा।"

*अंतर्नियम 19

शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध

क. निदेशक, अपने पूर्ण और अनियंत्रित निर्णय में, शेयरों के किसी भी प्रस्तावित अंतरण के पंजीकरण से इंकार कर सकते हैं, बशर्ते शेयरों के अंतरण के पंजीकरण को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि शेयरों पर ग्रहण अधिकार को छोड़कर ट्रांस्फरर अकेले या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप में किसी भी वजह से कंपनी का ऋणी है।

ख. यदि निदेशक किसी शेयर के अंतरण का पंजीयन करने से इनकार करते हैं तो उन्हें एक महीने के अन्दर इसकी सूचना अंतरिती तथा अंतरणकर्ता को भेजनी होगी।

ग. यहां के अन्यथा उपबंधों को छोड़कर, निदेशकों को यह अधिकार होगा कि वे सदस्यों की पूंजी में उल्लिखित व्यक्ति को ही किसी शेयर का धारक और पूर्ण स्वामी मानें और इसीलिए वे उक्त शेयर में किसी बेनामी न्यास अथवा इक्विटी अथवा साम्यिक प्रासंगिक अथवा अन्य किसी दावे अथवा हित को मानने के लिए (सक्षम न्यायाधिकार वाले न्यायालय के आदेश अथवा कानून की आवश्यकता को छोड़कर) बाध्य नहीं है, फिर चाहे उसको उन्हें व्यक्त अथवा अव्यक्त सूचना हो या नहीं हो।

*29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

अंतर्नियम 20

दोनों पक्षों द्वारा अंतरण निष्पादित होना

1. कंपनी के किसी शेयर का अंतरण प्रपत्र अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों द्वारा अथवा दोनों की ओर से निष्पादित किया जाएगा।

अंतरणकर्ता को पंजीयन हो जाने तक धारक माना जाना

2. जब तक अंतरित शेयर के लिए अंतरिती का नाम सदस्यों की पंजी में प्रविष्ट न हो जाए, अंतरणकर्ता ही उसका धारक बना रहा माना जाएगा।

* अंतर्नियम 21

अंतरण का तरीका

अंतरण प्रपत्र लिखित रूप में होगा और कंपनी अधिनियम की धारा 108 के सभी प्रावधानों और फिलहाल उसके किसी भी वैधानिक परिवर्तन का सभी शेयरों के अंतरणों और उनके पंजीकरणों के संबंध में विधिवत पालन किया जाएगा।

अंतर्नियम 22

अंतरण का पंजीयन

अंतरण का प्रत्येक प्रपत्र पंजीयन हेतु कार्यालय में छोड़ना पड़ेगा और उसके साथ अंतरित किए जाने वाले शेयरों का प्रमाण पत्र और अंतरणकर्ता के स्वत्व अथवा शेयरों के अंतरण के उसके अधिकारों को सिद्ध करने के लिए कंपनी द्वारा चाही गई साक्ष्य भी जमा करनी होगी। अंतरण संबंधी सभी प्रपत्र कंपनी में सुरक्षित रहेंगे लेकिन ऐसे अंतरण प्रपत्र को जिसे निदेशक पंजीयित करने से इनकार कर देते हैं, मांगे जाने पर जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

**अंतर्नियम 23

कानून के लागू होने के कारण शेयरों का अंतरण

अंतर्नियम 19 में उल्लिखित कोई प्रतिबंध कंपनी को ऐसे किसी व्यक्ति को शेयर धारी के रूप में पंजीयित करने से नहीं रोक सकेगा जिसे कंपनी के शेयरों पर अधिकार किसी कानून के लागू हो जाने से अंतरित हुआ है।

**अंतर्नियम 23 (क)

शेयरधारक का नामांकन

1. कंपनी के शेयरों या ऋण पत्रों या सावधि जमा का प्रत्येक धारक, अधिनियम के अधीन बताए निर्धारित तरीके से किसी भी समय एक व्यक्ति जिसको उसके शेयर या ऋणपत्र या कंपनी के सावधि जमा उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में निहित होंगे नामांकन कर सकता है।

2. जहां कंपनी के शेयर या ऋण पत्र या सावधि जमा एक से अधिक व्यक्ति के पास संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, संयुक्त धारक एक साथ, अधिनियम के अधीन निर्धारित तरीके से एक व्यक्ति जिसमें कंपनी के शेयरों या ऋणपत्रों या सावधि जमा के सभी अधिकार सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे, का नामांकन कर सकते हैं।

*29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

** 20.12.2001 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित।

*अंतर्नियम 24

अंतरण प्रपत्र का शेयर प्रमाण पत्र के साथ होना

बोर्ड किसी भी अंतरण प्रपत्र को मानने से इंकार कर सकता है बशर्ते कि अंतरण प्रपत्र शेयर प्रमाण पत्र के साथ हो जिससे वह संबंधित है ऐसा अन्य साक्ष्य जैसाकि बोर्ड को अंतरण हेतु ट्रांस्फरर के अधिकार दर्शाने के लिए उपयुक्त रूप से आवश्यक हो ।

अंतर्नियम 25

पंजीयन का स्थगन

अंतरणों का पंजीयन ऐसे समयों तथा उन अवधियों के लिए, जिन्हे मंडल समय–समय पर निर्धारित करें, स्थगित किया जा सकता है ।

समय सीमा

बशर्ते ऐसा/ऐसे पंजीयनों का स्थगन किसी भी वर्ष में पैंतालीस दिन से अधिक का नहीं होगा।

अंतर्नियम 26

प्रपत्रों पर शुल्क

कंपनी को प्रत्येक रक्त प्रमाण पत्र, प्रशासन–पत्र, मृत्यु अथवा विवाह प्रमाण पत्र मुख्तारनामा अथवा अन्य प्रपत्र पर अधिक से अधिक दो रुपये शुल्क के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा ।

शेयरों का हस्तांतरण

अंतर्नियम 27

शेयरों के संयुक्त धारकों में से एक अथवा अनेक की मृत्यु पर

(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, यदि वह संयुक्त धारक था तो उसका उत्तरजीवी/उसके उत्तरजीवी तथा यदि एकल धारक था जो उसके कानूनी प्रतिनिधि ही ऐसे धनी होंगे जिन्हें कंपनी शेयरों में उसके हित का हकदार मानेगी।

(2) धारा (1) में उल्लिखित उपबंध मृत संयुक्त धारक की संपदा को किसी ऐसे शेयर की, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारण किए हुए था, देयता से मुक्त नहीं करेंगे।

अंतर्नियम 28

धारक की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर शेयर का पंजीकरण

(1) सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने के फलस्वरूप शेयर का हकदार बनने वाले व्यक्ति को, मंडल द्वारा समय–समय पर उचित रूप से मांगे जाने वाली साक्ष्य को प्रस्तुत कर देने के बाद तथा इसके बाद के उपबंधों के अधीन :–

(क) वह स्वयं को शेयर के धारक के रूप में पंजीयित करा सकता है ; अथवा

(ख) शेयर का अंतरण कर सकता है जैसे कि मृत अथवा दिवालिया कर सकता था ।

(2) मंडल को दोनों ही मामलों में, पंजीयन से इन्कार अथवा उसके निलंबन करने का उसी तरह का अधिकार होगा जैसा कि मृत अथवा दिवालिया व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु अथवा दिवालिया होने से पूर्व शेयर के अंतरण करने के संबंध में होता।

अंतर्नियम 29

शेयरधारी की मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने पर हकदार बने व्यक्ति द्वारा नोटिस

(1) यदि इस तरह का हकदार व्यक्ति शेयर के धारक के रूप में स्वयं को पंजीयित कराना चाहता है तो उसे अपनी इस इच्छा की सूचना अपने हस्ताक्षरों से युक्त लिखित रूप में कंपनी को प्रेषित करनी अथवा देनी पड़ेगी।

*29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

(2) यदि उपर्युक्त व्यक्ति शेयर को अंतरण करना चाहता है तो वह शेयर अंतरण का निष्पादन कर अपनी इच्छा को प्रमाणित करेगा।

(3) इन विनियमों के शेयरों के अंतरण–अधिकार तथा अंतरणों के पंजीयन से संबंध रखने वाले सभी प्रतिबंध, उपबंध तथा सीमाएं उपर्युक्त सूचना अथवा अंतरण पर उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि सदस्य मृत अथवा दिवालिया हुआ न होता और अपने हस्ताक्षरों से सूचना अथवा अंतरण कर रहा होता।

अंतर्नियम 30

मृत्यु अथवा दिवालिया होने के कारण हकदार बने व्यक्ति के अधिकार

शेयरधारी की मृत्यु अथवा उसके दिवालिया हो जाने के फलस्वरूप हकदार बना व्यक्ति वही लाभांश तथा अन्य फायदे प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो पंजीयित शेयरधारी होने पर उसे मिले होते, लेकिन वह शेयर संबंधी सदस्य के रूप में पंजीयित हो जाने के पूर्व कंपनी बैठकों से संबंधित सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएगा।

बशर्ते कि मंडल किसी भी समय, ऐसे व्यक्ति को नोटिस दे सकता है कि वह या तो स्वयं को पंजीकृत कराए या शेयर का अंतरण करे, और यदि इस नोटिस का नब्बे दिन के अन्दर पालन न किया जाए तो उसके बाद मंडल उस शेयर के संबंध में देय सभी लाभांशों, बोनसों अथवा अन्य राशियों को तब तक के लिए रोके रख सकता है जब तक उस नोटिस में लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति न हो जाए।

अंतर्नियम 31

अधिकतम कुल अवधि

सदस्यों की पंजी अथवा ऋणपत्र धारियों की पंजी किसी भी अवधि अथवा अवधियों के लिए बंद रखी जा सकती है किन्तु यह प्रत्येक वर्ष में कुल 45 दिनों से अधिक नहीं और एक समय में 30 दिन से अधिक की नहीं होगी तथा इसके लिए अधिनियम की धारा 154 के अनुसार किसी ऐसे समाचार पत्र में विज्ञापन देकर, जो कंपनी के पंजीयित कार्यालय वाले जिले में बिकता है, कम से कम 7 दिनों का पूर्व नोटिस देना होगा।

अंतर्नियम 32

हस्तांतरण पर पंजीयन को इन्कार करने का निदेशकों को अधिकार

निदेशकों को किसी शेयर पर हस्तांतरण द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पंजीयित करने से इन्कार करने का उसी प्रकार से अधिकार होगा जैसे कि सामान्य अंतरण के अंतरिती के पंजीयन को इन्कार करने का होता है।

अंतर्नियम 33

राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों के अंतरण अथवा हस्तांतरण के संबंध में उसके अधिकार

ऐसे किसी शेयर के संबंध में जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति धारण किए हुए है, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति से शेयर को अपने अथवा राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम अंतरित किए जाने की मांग पर अथवा ऐसे किसी व्यक्ति के पागल हो जाने अथवा दिवालिया हो जाने अथवा उसके दिवालिया होने का अधिनिर्णय हो जाने अथवा उसकी मृत्यु पर, अथवा यदि वह कंपनी है तो उसका स्वैच्छिक रूप से अथवा न्यायालय द्वारा न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन समापन होने पर निम्नलिखित उपबंध होंगे, यथा :–

(1) राष्ट्रपति कभी भी किसी ऐसे शेयर के अंतरण को लागू करने की कंपनी को मांग पेश कर सकते हैं।

(2) ऐसा होने पर कंपनी अविलंब ऐसे शेयर के धारक को, अथवा यदि धारक पागल हो गया है तो उसके अभ्यर्पिती अथवा अन्य संरक्षक को, अथवा यदि धारक दिवालिया हो गया है अथवा उसके दिवाले का अधिनिर्णय हो गया है तो उसकी संपदा अथवा संपत्ति के समनुदेशिता को अथवा धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा कानूनी प्रतिनिधियों की अथवा यदि धारक कंपनी है और उसका उपर्युक्त रूप से समापन हो जाने पर उसके परिसमापक को, उस मांग का लिखित नोटिस देगी और यदि उसके बाद 14 दिनों के अंदर उक्त धारक अथवा धारक के अभ्यर्पिती अथवा समनुदेशिती अथवा उत्तराधिकारी अथवा कानूनी प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में ऐसे शेयरों का समुचित अंतरण निष्पादित नहीं करेंगे और उसे तत्संबंधी शेयर प्रमाण–पत्र के साथ राष्ट्रपति अथवा इसके लिए उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नहीं सौंपेंगे तो कंपनी उसके बाद किसी भी समय उक्त धारक के लिए अथवा उसकी ओर से ऐसे शेयर के संबंध में अथवा उसकी संपदा का एक अंतरण निष्पादित कर सकती है और वह उक्त धारक अथवा उसकी संपदा के धारक के लिए अथवा उनकी ओर से यथाविधि तथा समुचित रूप से निष्पादित अंतरण माना जाएगा और ऐसा होने पर उस धारक अथवा उसकी संपदा का उक्त शेयर पर किसी भी प्रकार का अधिकार समाप्त हो जाएगा तथा उक्त शेयर का प्रमाण पत्र, यदि सौंपा नहीं गया है तो रद्द माना माना जाएगा और शून्य होगा तथा शून्य हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा और तत्पश्चात् कंपनी को उसके स्थान पर राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम एक नया प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा।

"शेयरों की जब्ती"

अंतर्नियम 34

मांग अथवा किस्त का भुगतान न होने पर नोटिस दिया जाना

यदि कोई सदस्य किसी मांग अथवा मांग की किसी किस्त का नियत दिन पर भुगतान नहीं करता तो कंपनी, उसके बाद किसी भी समय और उस अवधि के दौरान जब तक उक्त मांग अथवा किस्त चुकता न हो जाए, उसको नोटिस भेजकर गैर–चुकता मांग अथवा किस्त की रकम और उस पर उद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, अदा करने को कह सकती है।

अंतर्नियम 35

नोटिस का प्रारूप

उपर्युक्त नोटिस में :–

(क) उस अगले दिन का उल्लेख होगा (जो नोटिस की तामील की तामील की तारीख से कम से कम 14 दिन बाद का होगा), जिस पर अथवा जिससे पहले, नोटिस उल्लिखित रकम का भुगतान करना है; तथा

(ख) यह भी उल्लेख होगा कि यदि उपर्युक्त दिन पर अथवा उससे पहले भुगतान न किया गया तो वे शेयर, जिनके संबंध में मांग की गई थी जब्त कर लिए जाएंगे।

अंतर्नियम 36

भुगतान में चूक होने पर शेयर की जब्ती

यदि उपर्युक्त प्रकार के किसी नोटिस द्वारा की गई मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो उसके बाद किसी भी समय तत्संबंधी शेयर को, नोटिस में मांगी गई रकम के अदा होने से पहले, मंडल के तत्संबंधी प्रस्ताव द्वारा जब्त किया जा सकता है।

अंतर्नियम 37

जब्त शेयरों का निपटान

(1) जब्त किए गए शेयर को मंडल जैसा ठीक समझे बेचकर अथवा अन्य किसी प्रकार से अथवा शर्तों पर निपटा सकता है।

जब्ती को रद्द करने की शक्ति

(2) उपर्युक्त प्रकार से बिक्री अथवा निपटान करने से पूर्व किसी भी समय मंडल जब्ती को उन शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे रद्द कर सकता है।

अंतर्नियम 38

जब्ती के समय देय धन को अदा करने की जिम्मेदारी

(1) वह व्यक्ति, जिसका शेयर जब्त किया गया है, जब्त शेयरों के संबंध में सदस्य नहीं रहेगा, किन्तु वह जब्ती के बावजूद, उन सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होगा जो जब्ती के समय उन शेयरों के संबंध में वर्तमान रूप में देय थी।

(2) उक्त व्यक्तियों की देयता तब समाप्त हो जाएगी जब कंपनी को उस शेयर से संबंधित सभी देनदारियों का पूरा भुगतान प्राप्त हो जाएगा।

अंतर्नियम 39

जब्ती की घोषणा

(1) एक यथाविधि सत्यापित लिखित घोषणा, कि घोषणाकर्ता कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष है और कि कंपनी के एक शेयर को घोषणा में लिखित तारीख पर यथाविधि जब्त किया गया है, शेयर पर स्वामित्व का दावा करने वालों के विरुद्ध इसमें लिखित तथ्यों की निश्चायक साक्ष्य होगी।

(2) शेयर की बिक्री अथवा उसके निपटान पर दिए गये प्रतिफल का, यदि कोई हो, प्राप्त कर सकती है तथा शेयर का उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे वह बेचा गया है अथवा निपटाया गया है, अंतरण निष्पादित कर सकती है।

(3) ऐसा होने पर अंतरिती शेयर के धारक के रूप में पंजीयित किया जाएगा।

(4) अंतरिती क्रय धन की प्रासंगिकता, यदि कोई हो, को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा और शेयर की जब्ती, बिक्री अथवा निपटान संबंधी प्रक्रिया में होने वाली किसी अनियमितता अथवा अवैधानिकता का उसके शेयर के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अंतर्नियम 40

एक नियत समय पर देय राशियों की गैर अदायगी के मामले में लागू होने वाले जब्ती के उपबंध

इन विनियमों के जब्ती संबंधी उपबंध शेयर के अंकित मूल्य के हिसाब में अथवा बढ़ौती के रूप में देय ऐसी राशि की गैर अदायगी के मामले में भी लागू होंगे जो, शेयर जारी करने की शर्तों द्वारा, एक निश्चित समय पर देय होती हैं और वे उसी प्रकार मानी जाएंगी जैसे कि वे यथाविधि की गई तथा अधिसूचित मांग की वजह से देय हुई हैं।

शेयरों के स्टाक में परिवर्तन

* अंतर्नियम 41

शेयरों का स्टाक में तथा स्टाक का शेयरों में परिवर्तन

कंपनी साधारण संकल्प द्वारा :–

(क) चुकता शेयरों को स्टाक में परिवर्तित कर सकती है; तथा

(ख) किसी स्टाक को किसी भी अंकित मूल्य के चुकता शेयरों में पुनः परिवर्तित कर सकती है।

अंतर्नियम 42

स्टाक का अंतरण शेयरों के अंतरण के विनियमों के ही अधीन

स्टाकधारी स्टाक अथवा उसके किसी अंश का उसी ढ़ंग तथा उन्हीं विनियमों के अधीन अथवा परिस्थितियों के अनुरूप लगभग वैसे ही विनियमों के अधीन अंतरण कर सकता है जिनके अंतर्गत शेयरों का, जिनसे स्टाक बना है, परिवर्तन से पहले अंतरण कर दिया जाता।

बशर्ते कि मंडल, समय समय पर, अंतरण योग्य स्टाक की न्यूनतम राशि निश्चित कर सका है हालांकि वह न्यूनतम राशि उन शेयरों की अंकित राशि से अधिक की नहीं होगी, जिनसे वह स्टाक बना है।

अंतर्नियम 43

स्टाकधारी के अधिकार तथा विशेषाधिकार

स्टाक धारियों को, धारित स्टाक की राशि के अनुसार लाभांश, कंपनी की बैठकों में मत देने तथा अन्य मामलों में उसी प्रकार के अधिकार, विशेषाधिकार तथा सुलाभ प्राप्त होंगे, जैसे उन्हें उन शेयरों को धारण करने पर मिलते, जिनसे वह स्टाक बना है; लेकिन स्टाक की उस राशि से ऐसा कोई विशेषाधिकार अथवा सुलाभ (कंपनी के लाभांशों तथा लाभ और समापन पर उसकी परिसंपत्तियों में अंशभागिता को छोड़कर) प्राप्त नहीं होगा जो उस राशि के शेयरों में विद्यमान रहने पर प्राप्त नहीं होता।

अंतर्नियम 44

चुकता शेयर पर लागू होने वाले विनियम स्टाक पर भी लागू

कंपनी के वे विनियम जो चुकता शेयरों के संबंध में भी लागू होते है, स्टाक के संबंध में भी लागू होंगे और उनमें प्रयुक्त शेयर, तथा शेयरधारी, शब्दों में 'स्टाक' तथा 'स्टाकधारी' भी शामिल होंगे।

पूँजी में परिवर्तन

पूँजी में वृद्धि

*अंतर्नियम 45

कंपनी समय–समय पर, अपनी पूंजी में साधारण संकल्प पारित करके उक्त संकल्प में उल्लिखित राशि की वृद्धि कर सकती है और उसे उक्त संकल्प में उल्लिखित अंकित मूल्यों के शेयरों में विभक्त कर सकती है।

नए शेयर जारी करना

*अंतर्नियम 46

सामान्य सभा द्वारा नए शेयरों के निर्माण के समय दिए गए निर्देश अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशकों, द्वारा निर्धारित निर्देश के अनुरूप शर्तों तथा प्रतिबंधों पर तथा अधिकारों और विशेष अधिकारों से युक्त नए शेयर जारी किए जाएंगे।

*29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

बशर्ते कोई भी शेयर ऐसे मताधिकारों अथवा कंपनी की लाभांश पूँजी में अथवा अन्य किसी पूँजी में ऐसे अधिकारों से युक्त जारी नहीं किया जाएगा जो अन्य शेयरों के धारकों को मिले अधिकारों से असंगत बैठते हों।

अंतर्नियम 47

प्रारम्भिक पूँजी के समान

जारी करने की शर्तों अथवा इन अंतर्नियमों के अन्यथा उपबंधों को छोड़कर, नए शेयरों के सर्जन से बढ़ाई गई पूँजी प्रारंभिक पूँजी का ही एक भाग मानी जाएगी और वह मांगों तथा किस्तों के भुगतान, अंतरण तथा हस्तांरण, ग्रहणाधिकार, मतदान अभ्यर्पण तथा अन्यों के संदर्भ में उल्लिखित उपबंधों के अधीन होगी।

*अंतर्नियम 48

वर्तमान सदस्यों को नए शेयरों का ऑफर

नए शेयर उन व्यक्तियों को ऑफर किए जाएंगे जो ऑफर की तारीख को कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक हैं, उतने ही निकट अनुपात में जितना कि इन शेयरों पर प्रदत्त पूँजी के लिए उस तारीख को परिस्थितियाँ हक में हैं और ऐसे ऑफर नोटिस द्वारा बनाए जाएँगे, शेयरों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए जिसका वह सदस्य हकदार है और ऐसी समय सीमा निर्धारित करते हुए जिसके अंदर ऑफर, यदि स्वीकार नहीं किया जाता तो उसे अस्वीकृत माना जाएगा तथा ऐसे समय की समाप्ति के बाद या उस सदस्य से ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, जिसे ऐसा नोटिस दिया गया है, कि वह ऑफर किए गए शेयरों को स्वीकार करने से इंकार करता है, तो निदेशक उसे ऐसे तरीके से निपटा सकते हैं जैसाकि कंपनी के लिए सबसे हितकर होगा।

* अंतर्नियम 49

शेयरों का उप विभाजन तथा समकेन

कंपनी सामान्य सभा में, समय–समय पर, अपने शेयरों का अथवा उनमें से किसी शेयर का उपविभाजन अथवा समेकन कर सकती है तथा अधिनियम की धारा 94 द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और उक्त शक्तियों के प्रयोग की सूचना पंजीयक को भेज देगी ।

* अंतर्नियम 50

पूंजी में कटौती

कंपनी विशेष संकल्प द्वारा किसी भी ढंग से तथा कानून द्वारा प्राधिकृत किसी प्रसंग अथवा आवश्यक सहमति के अधीन – (क) अपनी शेयर पूंजी, (ख) किसी पूंजी प्रतिदान आरक्षण निधि, तथा (ग) किसी शेयर प्रीमियम लेखा में कटौती कर सकती है ।

उधार लेने की शक्तियाँ

अंतर्नियम 51

उधार लेने की शक्ति

निदेशक अपने विवेक का प्रयोग करते हुए समय–समय पर कंपनी के लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, अथवा किसी भी राशि अथवा राशियों का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।

* 29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

अंतर्नियम 52

धन उधार लेने की शक्ति

निदेशक जैसे भी उचित समझें उस ढंग से तथा शर्तों और प्रतिबंधों के साथ और विशेष रूप से कंपनी की ओर से ऋण पत्र अथवा ऋण पत्र स्टाक जारी करके और उनके लिए कंपनी की वर्तमान अथवा भविष्य की सभी संपत्ति अथवा उसके किसी भाग पर, जिसमें वर्तमान अनमांगी पूँजी भी शामिल है, प्रभार कायम करके धनराशि अथवा धनराशियाँ इकट्ठा कर सकते हैं अथवा उनका भुगतान अथवा पुनर्भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं।

अंतर्नियम 53

ईक्विटियों से मुक्त समनुदेशनीय प्रतिभूतियाँ

ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टाक तथा अन्य प्रतिभूतियों को कंपनी तथा उन व्यक्तियों के बीच, जिन्हें वे जारी किए गए हैं, किन्हीं ईक्विटियों से मुक्त समनुदेशन योग्य बनाया जा सकता है।

अंतर्नियम 54

बट्टे पर अथवा विशेष अधिकारों के साथ जारी करना

अधिनियम की धारा 117 के अधीन किन्हीं भी ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टाक, बंधपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बट्टे पर, बढ़ौती पर अथवा अन्य प्रकार से तथा शेयरों के प्रतिदान, अभ्यर्पण, आहरण आबंटन, कंपनी की सामान्य सभा में भाग लेने, निदेशकों की नियुक्ति तथा अन्य अधिकारों के संबंध में विशिष्ट विशेषाधिकारों के साथ जारी किया जा सकता है। ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक, बांड्स या शेयरों के आबंटन या परिवर्तन के अधिकार सहित अन्य प्रतिभूतियाँ कंपनी की सहमति से केवल आम सभा में ही जारी किए जाएँगे।

अंतर्नियम 55

जब अनमांगी पूँजी पर प्रभार कायम हो तो बाद के सभी प्रभार पूर्व प्रभार के अधीन

जब भी कंपनी की कोई अनमांगी पूँजी प्रभारित होगी तो उस पर कोई परवर्ती प्रभार रखने वाले सभी व्यक्ति उसे उक्त पूर्ववर्ती प्रभार के बाद ही ग्रहण करेंगे तथा वे शेयरधारियों को नोटिस देकर अथवा अन्य उपाय करके भी उक्त पूर्ववर्ती प्रभार पर प्राथमिकता पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

अंतर्नियम 56

क्षतिपूर्ति दी जा सकती है

यदि निदेशकों अथवा उनमें से किसी एक निदेशक अथवा अन्य किसी व्यक्ति को किसी ऐसी रकम के भुगतान का दायित्व व्यक्तिगत हैसियत से निभाना पड़ता है जो मूल रूप से कंपनी द्वारा देय थी, तो निदेशक उस देयता से होने वाली किसी हानि से उक्त निदेशकों अथवा अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिए क्षतिपूर्ति के माध्यम से कंपनी की सभी अथवा आंशिक परिसंपत्तियों को बंधक, प्रभारित अथवा जमानत रख सकते हैं अथवा उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है।

* 29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

सामान्य बैठकें

अंतर्नियम 57

असाधारण सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठक के अलावा सभी सामान्य बैठकें असाधारण सामान्य बैठकें कहलाएंगी।

अंतर्नियम 58

असाधारण सामान्य बैठकें बुलाना

निदेशक जब भी उचित समझें तब अथवा ऐसी जारी पूंजी को कम से कम दशमांश धारकों की मांग पर जिसके संबंध में सारी मांगों अथवा उस समय देय अन्य रकमों का भुगतान हो चुका है तथा इस प्रकार उस तिथि पर उस पर मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है, कंपनी की असाधारण बैठक बुलाने की कार्रवाई करेंगे, और उक्त मांग के मामले में निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे :–

1. मांग पत्र में बैठक बुलाने के उद्देश्यों का उल्लेख तथ मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर से उसको कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक है। मांग पत्र के साथ अनेक दस्तावेज भी भेजे जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक पर एक अथवा एकाधिक मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। संयुक्त शेयरधारियों के मामले में ऐसे मांग पत्र पर सभी ऐसे धारकों के हस्ताक्षर होंगे।

2. यदि मांगपत्र को जमा करने की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर कंपनी के निदेशक उक्त विषयों पर विचार करने के लिए तथा ऐसी तारीख को बैठक नहीं बुलाते जो मांगपत्र को जमा करने की तारीख से पैंतालीस दिनों के अंदर ही पड़ती हो तो मांगकर्ता अथवा उनमें से शेयर मूल्य का बहुमत धारण करने वाले स्वयं बैठक बुला सकते हैं। किन्तु इस तरह बुलाई गई बैठक मांगपत्र प्रस्तुत करने की तारीख के बाद तीन महीने के अंदर बुलानी पड़ेगी।

3. इस अंतर्नियम के अधीन मांगपत्र द्वारा बैठक लगभग यथा संभव उसी ढंग से आयोजित होगी जैसे कि निदेशकों द्वारा बुलाई बैठक होती है। यदि, मांगपत्र प्राप्त हो जाने के बाद, कोरम की पर्याप्त संख्या में निदेशक इकट्ठे न हो पाएं, तो कोई भी निदेशक लगभग यथासंभव उसी ढंग से असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है जैसे कि निदेशकों द्वारा बुलाई जाती है।

अंतर्नियम 59

बैठक की सूचना

विशेष संकल्प संबंधी यहां आगे दिए हुए उपबंधों के अधीन, प्रत्येक सदस्य को कम से कम चार पूरे दिन का लिखित नोटिस, जिसमें बैठक के स्थान, दिन तथा समय का उल्लेख हो, साथ ही उस बैठक में विचारार्थ विषयों संबंधी विवरण यहां आगे दिए ढंग से भेजा जाएगा, लेकिन नोटिस प्राप्त करने के अधिकारी सभी सदस्यों की लिखित सहमति से कोई विशेष बैठक ऐसे कम समय के नोटिस द्वारा तथा उस ढंग से भी बुलाई जा सकती है, जिसे वे सदस्य उचित समझें।

बशर्ते; जब किसी संकल्प को किसी सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प के रूप में पारित कराना है तो अधिनियम की धारा 189(ए) की व्यवस्था के अनुसार, किसी संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित कराने के निश्चय का उल्लेख करते हुए ऐसी बैठक का कम से कम 21 दिन का नोटिस भेजा जाएगा। यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि बैठक में भाग लेने तथा उसमें मतदान करने के अधिकारी सभी सदस्य सहमत हों तो किसी संकल्प को ऐसी बैठक में प्रस्तुत करके एक विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जा सकता है जिसके लिए 21 दिन का नोटिस दिया गया है।

अंतर्नियम 60

नोटिस देने में चूक से संकल्प का अवैध न होना

उक्त नोटिस संयोगवश न दिए जाने अथवा किन्हीं सदस्यों को प्राप्त न हो पाने से किसी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

अंतर्नियम 61

साधारण बैठक की कार्यसूची

साधारण बैठक की कार्य सूची में लाभ तथा हानि लेखा, तुलन पत्र तथा निदेशकों की और लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना और उस पर विचार करना तथा ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करना जो इन अंतर्नियमों के अधीन साधारण बैठक में संपादित होने चाहिए।

साधारण बैठक में किए गए सभी अन्य कार्य तथा असाधारण बैठक में किए गए सभी कार्य, विशेष कार्य माने जाएंगे।

सामान्य बैठक की कार्यवाही

अंतर्नियम 62

गणपूर्ति

1. किसी सामान्य बैठक की कार्यवाही तब तक चालू नहीं की जाएगी जब तक कि बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते समय सदस्यों की गणपूर्ति न हो जाए।

*2. यहां की गई अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर, पांच सदस्यों की सशरीर उपस्थिति से गणपूर्ति हो जाएगी।

अंतर्नियम 63

सामान्य बैठक का अध्यक्ष

कंपनी की प्रत्येक सामान्य बैठक का सभापतित्व मंडल के अध्यक्ष करेंगे।

अंतर्नियम 64

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक का चुनाव

बैठक के लिए निश्चित समय के बाद पंद्रह मिनट के अंदर यदि अध्यक्ष उपस्थित निदेशक बैठक के सभापति के रूप में अपने में से किसी निदेशक का चुनाव करेंगे।

अंतर्नियम 65

गणपूर्ति के अभाव में कार्यवाही

बैठक के लिए निश्चित समय के आधे घंटे के अंदर यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो उपर्युक्त मांगपत्र के आधार पर बुलाई गई बैठक भंग हो जाएगी; लेकिन अन्य मामलों में वह अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय तथा स्थान तक के लिए अथवा उस अन्य दिन, अन्य समय अथवा उस अन्य स्थान के लिए स्थगित मानी जाएगी जो मंडल द्वारा शेयरधारियों को नोटिस भेजकर तय हो और यदि इस प्रकार से स्थगित बैठक में गणपूर्ति नहीं हो तो उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति हो जाएगी और वे उस कार्यसूची पर विचार कर सकते हैं जिसके लिए बैठक बुलाई गई है।

* 29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित।

अंतर्नियम 66

स्थगन

1. अध्यक्ष, ऐसी किसी बैठक की सहमति से जिसमें गणपूर्ति हो गई हो, उस बैठक को एक समय तथा स्थान से दूसरे समय तथा स्थान के लिए स्थगित कर सकता है तथा यदि बैठक ऐसा निर्देश दे तो ऐसा अवश्य करना पड़ेगा।

स्थगित बैठक की कार्यसूची

2. किसी भी स्थगित बैठक में उस अपूर्ण रह गए कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं होगा जो बैठक के स्थगन के समय रह गया था।

3. जब कोई बैठक तीस अथवा उससे अधिक दिन के लिए स्थगित की जाए तो स्थगित बैठक का उसी प्रकार से नोटिस दिया जाएगा जैसा कि मूल बैठक के लिए दिया गया था।

4. उपर्युक्त को छोड़कर, किसी स्थगन अथवा स्थगित बैठक में होने वाले कार्य के संबंध में नोटिस भेजना आवश्यक नहीं होगा।

अंतर्नियम 67

प्रथमतः हाथ उठाकर निर्णय

क. बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक प्रश्न पर प्रथमतः हाथ उठाकर निर्णय लिया जाएगा। पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आने पर, ऐसा हाथ चाहे उठाकर अथवा मतदान की पद्धति से हुआ हो, उस बैठक का अध्यक्ष, जिसमें हाथ उठाकर मतदान की पद्धति अपनाई गई है अथवा जिसमें मतदान की मांग की गई है, दूसरे अथवा निर्णायक मत का अधिकारी होगा।

जहां मतदान की मांग नहीं गई है, संकल्प की साक्ष्य

ख. किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत संकल्प पर निर्णय हाथ उठाकर लिया जाएगा, बशर्ते हाथ उठाकर किए गए मतदान व परिणाम घोषित होने पर अथवा उसके घोषित होने से पहले कोई सदस्य जो स्वयं उपस्थित है, अथवा उसका एवजी अथवा उसका यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान की मांग नहीं करता और बशर्ते उक्त प्रकार से मतदान की मांग नहीं की जाती तो अध्यक्ष द्वारा घोषणा कि अमुक संकल्प हाथ उठाकर पारित हो गया अथवा सर्वसम्मति से या बहुमत विशेष से पारित हो गया अथवा गिर गया और कंपनी की कार्यवाही पुस्तिका में इस बात का इन्दराज, इस तथ्य की निर्णायक साक्ष्य होगी। और इसके लिए संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में पड़ने वाले मतों की संख्या अथवा उनके अनुपात का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

मतदान का ढंग तथा उसका परिणाम

ग. यदि मतदान की यथाविधि मांग की जाती है तो वह बैठक के अध्यक्ष के निर्देश के अनुरूप ढंग, समय तथा स्थान पर तथा तत्काल अथवा कुछ अंतराल अथवा स्थगन के बाद अथवा अन्य प्रकार से लिया जाएगा तथा मतदान का परिणाम उस बैठक का संकल्प माना जाएगा जिसमें मतदान की मांग की गई थी। मतदान की मांग को वापस लिया जा सकता है।

मतदान की मांग को उसी बैठक में पूरा करना

घ. अधिनियम की धारा 180 के उपबंधों के अधीन किसी बैठक के अध्यक्ष चुनाव अथवा स्थगन के किसी प्रश्न के संबंध में मतदान के लिए विधिवत की गई मांग को उसी बैठक में तथा बिना किसी स्थगन के पूरा किया जाएगा।

अध्यक्ष ही एकमात्र निर्णायक

ङ बैठक में डाले जाने वाले प्रत्येक मत की वैधता का एकमात्र निर्णायक उस बैठक का अध्यक्ष ही होगा। मतदान के समय उपस्थित अध्यक्ष उस मतदान में डाले गए प्रत्येक मत की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा।

हाथ उठाकर मतदान में वह सदस्य, जो स्वयं उपस्थित नहीं

च. हाथ उठाकर मत देने के लिए ऐसा कोई सदस्य अधिकारी नहीं होगा जो स्वयं वहां उपस्थित नहीं है।

अंतर्नियम 67 (क)

डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना

कंपनी नियम, 2001, (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना) संशोधनों सहित के अधीन, प्रत्येक सदस्य को किसी व्यवसाय से संबंधित संकल्पों पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अधिकार होगा जिसको कथित नियमों के अधीन उनके अधीन आने वाली पद्धति के अनुसार डाक मतपत्र के माध्यम से जारी किए जाने की अनुमति है।

अंतर्नियम 68

मतदान की मांग द्वारा अन्य कार्यवाही को न रोक पाना

जिस विषय पर मतदान की मांग की गई है उस पर मतदान कराने को विचाराधीन करके अन्य विषयों पर विचार जारी रखा जा सकता है।

अंतर्नियम 69

राष्ट्रपति को अपने प्रतिनिधि के रूप में व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार

1. राष्ट्रपति, जब तक कंपनी के शेयरधारी हैं, समय–समय पर एक अथवा एकाधिक व्यक्ति/व्यक्तियों (जिसे–जिन्हें कंपनी के सदस्य होना आवश्यक नहीं है) को कंपनी की किसी बैठक अथवा सभी बैठकों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

,2. इस अंतर्नियम की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति जो बैठक में स्वयं उपस्थित है मत देने का अधिकारी सदस्य माना जाएगा और वही सभी अथवा किसी ऐसी बैठक में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने तथा उनकी ओर से हाथ उठाकर अथवा मतदान द्वारा मत देने का अधिकारी होगा।

3. राष्ट्रपति जिस समय चाहें, इस अंतर्नियम की उपधारा (1) के अंतर्गत की गई किसी भी नियुक्ति को रद्द करके नई नियुक्तियां कर सकते हैं।

4. ऐसी किसी नियुक्ति अथवा नियुक्ति को रद्द कर देने से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश को, भारत के संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार, बैठक में प्रस्तुत कर देना ही ऐसी नियुक्ति तथा उसके रद्द करने की पर्याप्त साक्षी मानी जाएगी और कंपनी इसी रूप में स्वीकार करेगी।

5. अंतर्नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति यदि उक्त आदेश द्वारा ऐसा करने को प्राधिकृत है, अपना एवजी, सामान्य अथवा विशेष, नियुक्त कर सकता है।

सदस्यों के मत

अंतर्नियम 70

मत

क. हाथ उठाने की पद्धति में प्रत्येक उपस्थित (सशरीर) सदस्य का एक मत होगा; तथा

ख. मतदान में सदस्यों को मत देने के वे अधिकार प्राप्त होंगे जो अधिनियम की धारा 87 में उल्लिखित हैं।

अंतर्नियम 71

संयुक्त धारकों द्वारा मतदान

संयुक्त धारकों के मामले में वरिष्ठ धारक का मत, जो उसे स्वयं उपस्थित होकर अथवा एवजी के रूप में प्रयुक्त करता है अन्य संयुक्त धारकों के मत का वर्जन करते हुए स्वीकार किया जाएगा।

इसके लिए, वरिष्ठ का निर्धारण सदस्यों की पंजी में उनके नामोल्लेख के क्रम द्वारा किया जाएगा।

अंतर्नियम 72

हस्तांतरण द्वारा किसी शेयर के अधिकारी व्यक्ति द्वारा नोटिस

हस्तांतरण धारा के अंतर्गत किसी शेयरों का स्वत्व पाने वाला व्यक्ति किसी सामान्य बैठक में उसी प्रकार से मत प्रदान कर सकता है जैसे कि वह उक्त शेयरों का पंजीकृत धारक है बशर्ते यदि निदेशकों ने उक्त शेयरों पर उसके अधिकारों को अथवा उनके संबंध में उक्त बैठक में उसके सत्ताधिकार को स्वीकार नहीं कर लिया है तो ऐसी बैठक अथवा स्थगित बैठक के समय से कम से कम बहत्तर घंटे पहले उसे उक्त शेयरों पर अपने अधिकार के प्रति निदेशकों को संतुष्ट करना पड़ेगा।

अंतर्नियम 73

विक्षिप्त सदस्यों के मामले में मत देना

कोई विक्षिप्त सदस्य अथवा जिसके संबंध में विक्षिप्तावस्था का न्यायाधिकार रखने वाले न्यायालय ने कोई आदेश दे रखा है वह व्यक्ति अपने अर्पिती अथवा अन्य कानूनी संरक्षक द्वारा, हाथ उठाकर अथवा मतदान की पद्धति में मत दे सकता है और उक्त अर्पिती अथवा संरक्षक मतदान पद्धति में एवजी के रूप में भी मत दे सकता है।

अंतर्नियम 74

कोई सदस्य तब तक मत नहीं दे सकता जब तक कि मांग चुकता न की गई हो

ऐसा कोई भी सदस्य 3 सामान्य बैठकों में मत नहीं दे सकेगा जिसने कंपनी के शेयरों से संबंधित सभी मांगें अथवा तत्संबंधी वर्तमान में देय अन्य राशियां चुकता न कर दी हों।

अंतर्नियम 75

मत देने विरुद्ध आपत्तियां

1. किसी मतदाता की अर्हता के विरुद्ध कोई आपत्तियां सिवाय उस बैठक अथवा स्थगित बैठक में उठाने के जिसमें वह आपत्तिगत मत डाला गया है अथवा डाला जाने वाला है, नहीं उठाई जाएगी तथा उक्त बैठक में अस्वीकृत ना हुआ प्रत्येक मत सभी उद्देश्यों के लिए वैध होगा।

वैधता का निर्णायक अध्यक्ष

2. यथा समय की गई उक्त आपत्ति बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम तथा निर्णायक होगा।

अंतर्नियम 76

एवजी अथवा मुख्तार की नियुक्ति तथा अर्हता

किसी बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकारी सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) अपने एवजी के रूप में बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। कोई भी सदस्य ऐसी बैठक के लिए एक से अधिक एवजी नियुक्त नहीं करेगा। एवजी व्यक्ति बैठक में बोलने तथा मतदान के अलावा किसी अन्य प्रकार से मत देने का अधिकारी नहीं होगा। एवजी नियुक्त करने का प्रपत्र लिखित रूप में तथा नियुक्त कर्ता अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उस के मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित होगा अथवा यदि नियुक्त कर्ता एक निगमित निकाय है तो यह उसकी मुहर के अधीन अथवा उसके अधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

नियुक्ति प्रपत्र को जमा करना

एवजी की नियुक्त का प्रपत्र तथा मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिनके अधीन यह हस्ताक्षरित है अथवा उस शक्ति या प्राधिकार की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति उस बैठक, अथवा स्थगित बैठक जिसमें प्रपत्र में उल्लिखित व्यक्ति मत देना चाहता है, के समय से कम से कम 48 घंटे पहले और मतदान के मामले में मतदान के लिए निश्चित समय के कम से कम 24 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करनी होगी और इसमें भूल होने पर एवजी प्रपत्र बंध नहीं माना जाएगा।

अंतर्नियम 77

एवजी का फार्म

एवजी नियुक्त करने का प्रपत्र या तो अधिनियम की अनुसूची ix में उल्लिखित फार्म में होगा अथवा परिस्थितियों के अनुसार लगभग वैसे ही फार्म में होगा।

अंतर्नियम 78

एवजी का मत अवैध नहीं यदि प्रतिसंहरण नोटिस प्राप्त नहीं हुआ

एवजी द्वारा मत देने से पहले ही मालिक की मृत्यु हो जाने अथवा उसके पागल हो जाने अथवा एवजी अथवा उस प्राधिकार का, जिसके अधीन एवजी नियुक्त किया गया था, प्रतिसंहरण हो जाने अथवा उन शेयरों का, जिनके संबंध में एवजी नियुक्त किया था, अंतरण हो जाने के बावजूद एवजी प्रपत्र की शर्तों के अनुरूप दिया गया मत वैध होगा।

बशर्ते उक्त मृत्यु, पागलपन, प्रतिसंहरण अथवा अंतरण की लिखित सूचना उस बैठक के प्रारंभ होने से पहले जिसमें एवजी अधिकार का प्रयोग किया गया है, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त न हो गई हो।

निदेशक मंडल

अंतर्नियम 79 (1)

निदेशकों की संख्या

1. अधिनियम की धारा 252 के उपबंधों के अधीन, राष्ट्रपति, समय–समय पर लिखित आदेश द्वारा कंपनी के निदेशकों की संख्या का निर्धारण करेंगे जो 16** से अधिक और 4 से कम नहीं होगी। निदेशकों के लिए शेयर धारण करने की अर्हता आवश्यक नहीं है।

अंतर्नियम 79 (2)

*अध्यक्ष, निदेशकों की नियुक्ति, उनकी संख्या, परिलब्धियां आदि

क. कंपनी के कुल दो तिहाई निदेशक वे व्यक्ति होंगे जिनका कार्यकाल निदेशकों की क्रमानुसार सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जब तक अधिनियम में अन्यथा रूप से अभिव्यक्त प्रावधान नहीं किया जाए, कंपनी द्वारा वे आम सभा में नियुक्त किए जाएंगे। कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम सभा में, फिलहाल ऐसे एक तिहाई निदेशक जो क्रमानुसार सेवानिवृत्त होने योग्य हैं या यदि उनकी संख्या 3 या 3 का गुणक नहीं है, तो एक तिहाई की निकटतम संख्या में वे सेवानिवृत्त होंगे। वार्षिक आम सभा में जिसमें कोई निदेशक जैसा कि ऊपर कहा गया है, सेवानिवृत्त होता है तो कंपनी उस रिक्ति को सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक या उसके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भर सकती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस खंड के तहत सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

ख. राष्ट्रपति, बोर्ड के किसी सदस्य को ऐसे निबंधनों व शर्तों, परिलब्धि तथा कार्यकाल के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करेंगे जैसा कि राष्ट्रपति समय–समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

* 30.09.93 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित
** 29.03.06 को हुई विशेष आम सभा में यथा संशोधित

ग. राष्ट्रपति बोर्ड के किसी सदस्य/सदस्यों को पूर्णकालिक आधार पर ऐसे निबंधनों और शर्तों, परिलब्धि और कार्यकाल के लिए कार्यरत निदेशकों के रूप में नियुक्त करेंगे जैसा कि राष्ट्रपति समय–समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

अंतर्नियम 79 (3)

निदेशकों को हटाना

3. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक सहित किसी भी निदेशक को उनके पद से किसी भी समय हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी जो अपने निरपेक्ष विवेक का प्रयोग करके उसका उपयोग करेगा।

***अंतर्नियम 79 (4)**

किसी रिक्त स्थान की पूर्ति

क. राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी व्यक्ति को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु नामांकित कर सकें।

ख. एक्ट के प्रावधानों तथा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के अधीन, निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय और समय–समय पर निदेशक या अपर निदेशक के रूप में या बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कर सके ताकि निदेशकों की कुल संख्या अधिकतम निर्धारित सीमा से किसी भी समय अधिक न हो जाए। इस प्रकार निदेशक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति अगली वार्षिक आम सभा की तारीख तक अपना कार्यालय चलाएंगे किन्तु कंपनी द्वारा उस सभा में निदेशक के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे।

अंतर्नियम 79 (5)

निदेशकों की पद से मुक्ति

क. किसी व्यक्ति को निदेशक का पद छोड़ना पड़ेगा :–

यदि वह सक्षम न्यायाधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा विक्षिप्त पाया गया है ;

ख. यदि उसने दिवालिया होने के अधिनिर्णय के लिए आवेदन किया है ;

ग. यदि वह दिवालिया घोषित हो गया है।

घ. यदि वह भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है और उसके लिए उसे कम से कम छह महीने की सजा मिली है;

ङ यदि वह अनुपस्थित रहने की अनुमति के बिना निदेशक मंडल की तीन बैठकों में अथवा उसकी सभी बैठकों में लगातार तीन महीने से जो भी बाद में आए, अनुपस्थित रहा है।

च. यदि उसने अथवा उस फर्म ने, जिसके साझीदार उस निजी कंपनी ने, जिसका वह निदेशक है, कंपनी से कोई ऐसा कर्ज अथवा किसी कर्ज की गारंटी अथवा जमानत स्वीकार की है जो अधिनियम की धारा 295 की उल्लंघन करती है।

छ. यदि वह कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से किए गए अथवा किए जाने वाले किसी सुविधा अथवा समझौते अथवा प्रस्तावित सुविधा अथवा समझौते में अपनी दिलचस्पी अथवा अपने हित की प्रकृति को प्रकट करने में जैसा कि अंतर्नियम की धारा 299 में उससे अपेक्षित है, असमर्थ होता है;

ज. यदि वह, अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत, न्यायालय के किसी आदेश द्वारा अयोग्य सिद्ध हो जाता है;

झ. यदि उसे अधिनियम की धारा 284 के अनुपालन में हटा दिया जाता है;

ञ. यदि कंपनी के साथ होने वाली किसी संविदा के लाभों में उसका हित है अथवा उनमें उसकी हिस्सेदारी है; लेकिन व्यवस्था की जाती है कि किसी निदेशक की किसी ऐसी कंपनी का सदस्य हो जाने के कारण अपना पद नहीं छोड़ना पड़ेगा जिसने उस कंपनी के साथ कोई संविदा की है अथवा उसके लिए कोई कार्य किया है, जिसका कि वह निदेशक है, किन्तु वह उक्त संविदा अथवा कार्य के संबंध में अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा और यदि वह मत देता भी है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त उपधारा (ग), (घ) तथा (ज) में उल्लिखित अनर्हताएं निम्नलिखित स्थितियों में प्रभावी नहीं होंगी :–

क. यदि अधिनिर्णय, सजा अथवा आदेश की तारीख के बाद तीस दिन की अवधि पूरी नहीं हो गई हो;

ख. जबकि उक्त अधिनिर्णय, सजा अथवा सजा होने की दोषसिद्धि अथवा आदेश के विरुद्ध उपर्युक्त तीस दिन के भीतर अपील अथवा याचिका प्रस्तुत की गई हो तो उसे उस अपील अथवा याचिका पर निर्णय की तारीख के बाद सात दिन न गुजर गए हों, अथवा

ग. जबकि उपर्युक्त सात दिनों के भीतर अधिनिर्णय, सजा, दोषसिद्धि अथवा आदेश तथा अपील अथवा याचिका के संबंध में कोई और अपील अथवा याचिका प्रस्तुत की गई हो, जिसके स्वीकृत हो जाने पर अनर्हता हटा दी जाएगी, तो उस आगे की अपील अथवा याचिका पर निर्णय हो जाने तक उपर्युक्त अनर्हताएं प्रभावी नहीं होंगी।

<u>अंतर्नियम 79 (6)</u>

वैकल्पिक निदेशक

ऐसे निदेशक के स्थान पर, जो भारत से बाहर है अथवा भारत से बाहर जाने वाला है अथवा जिसके कम से कम तीन मास तक के लिए उस राज्य से अनुपस्थित रहने की संभावना है जहां सामान्यतः निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित होती हैं, मंडल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ उक्त निदेशक की उक्त विषयक अनुपस्थिति के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को वैकल्पित निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है, तथा ऐसी नियुक्ति को वही प्रभाव होगा तथा वैकल्पित निदेशक के पदधारी ऐसे व्यक्ति को निदेशकों की बैठकों का नोटिस प्राप्त करने का अधिकार होगा और जैसे ही तथा जब भी मूल निदेशक भारत अथवा राज्य में वापस आएगा अथवा निदेशक के रूप में पद छोड़ेगा , उसे भी यथातथ्यतः पद छोड़ना पड़ेगा।

*अंतर्नियम 79(7)

निदेशक की अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति

*हटाया गया है।

अंतर्नियम 79(8)

प्रबंध निदेशक की शक्ति

निदेशक मंडल समय–समय पर अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निदेशकों, महा प्रबंधक अथवा प्रबंधकों तथा वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी को फिलहाल इन अंतर्नियमों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा प्रयोज्य शक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, प्रदान कर सकता है अथवा उन्हें सौंप सकता है तथा वह उन शक्तियों को उस समय तक के लिए तथा ऐसे प्रयोजन अथवा उद्देश्यों में प्रयोग करने के लिए तथा ऐसी शर्तों अथवा प्रतिबंधों के साथ सौंप सकता है जिन्हें लाभकर समझे, तथा वह उक्त शक्तियों को निदेशक की हैसियत से प्राप्त सभी अथवा किसी शक्तियों को सहवर्ती शक्तियों के रूप में अथवा उनके/उसके अपवर्जक अथवा स्थानापन्न के रूप में प्रदान कर सकता है तथा वह ऐसी सभी शक्तियों अथवा उनमें से किसी भी शक्ति को समय–समय पर, प्रतिसंहृत, कर सकता है, वापस ले सकता है, बदल सकता है अथवा घटा–बढ़ा सकता है।

अंतर्नियम 80

कंपनी की सामान्य शक्तियां मंडल में निहित

कंपनी का व्यवसाय मंडल द्वारा संचालित होगा, जो कंपनी को उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो कंपनी अधिनियम 1956 अथवा उसमें किए तथा फिलहाल लागू किसी कानूनी संशोधन द्वारा अथवा इन अंतर्नियमों द्वारा सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा प्रयुक्त नहीं होनी है, लेकिन शक्तियों का यह प्रयोग इन अंतर्नियमों के उपबंधों, उक्त अधिनियम के उपबंधों तथा राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर जारी किए निदेशों, यदि कोई हों, तथा उपर्युक्त उबपंधों से असंगति न रखने वाले ऐसे विनियमों, जो सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए हों, के अधीन होगा, किन्तु सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा बनाया गया कोई विनियम निदेशकों के किसी ऐसे पूर्वकालीन कृत्य को अमान्य नहीं ठहराएगा जो यदि उक्त विनियम न बनाया जाता तो वैध होता।

अंतर्नियम 81

निदेशकों को प्रदत्त कुछ विशिष्ट शक्तियां

पूर्ववर्ती अंतर्नियम द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों तथा इन अंतर्नियमों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :–

संपत्ति अर्जित करना

1. कंपनी के लिए वह संपत्ति, अधिकार अथवा विशेषाधिकार जिन्हें अर्जित करने के लिए कंपनी प्राधिकृत हैं, ऐसी कीमत पर तथा सामान्यतः ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों पर, जिन्हें वे उचित समझें, खरीदना, पट्टे पर लेना अथवा अन्य किसी प्रकार से अर्जित करना।

*30.09.93 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

पूंजीगत कार्य	2.	पूंजीगत कार्यों को हाथ में लेने तथा उससे संबंधित अचल पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करना किंतु शर्त यह है कि ऐसे सभी मामले, जिन पर पांच करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय होना है, प्राधिकृत किए जाने से पहले राष्ट्रपति को अनुमोदनार्थ भेजे जाएँगे, बशर्ते कि *5 करोड़ से अनधिक के ऐसे पूंजीगत कार्यों के व्यय के लिए बोर्ड द्वारा, और जहां आवश्यक हो, वहां बोर्ड द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत बजट में प्रावधान किया गया है और यह भी कि नीति संबंधी मामलों वाली मदों पर, जहां सरकार का विशिष्ट अनुमोदन आवश्यक हो, कोई भी पूंजीगत खर्च सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जाएगा।
ऋणपत्रों आदि के रूप में सम्पत्ति के लिए भुगतान करना	3.	किसी अर्जित सम्पत्ति, अधिकार अथव विशेषाअधिकार के लिए अथवा कंपनी को प्रदत्त, किसी सेवा के लिए भुगतान की व्यवस्था करना जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नकदी में भी हो सकता है अथवा कंपनी के शेयरों, बंधपत्रों, ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों का जारी करके भी किया जा सकता है और उक्त शेयर या तो पूर्णतः चुकता रूप में, या आपस में तयशुदा राशि को प्रदत्त राशि मानकर उसे उधार रखने के रूप में जारी किए जा सकते हैं और उक्त बंधपत्र ऋण पत्र अथवा अन्य प्रतिभूतियां कंपनी की संपूर्ण अथवा आंशिक संपत्ति तथा उसकी अनमांगी पूंजी पर विशिष्टतः प्रभारी भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं।
संविदाओं की सुरक्षा के लिए बंधक	4.	बंधक रखकर संविदाओं की सुरक्षा करना– अधिनियम की धारा 292 की व्यवस्था के अधीन कंपनी द्वारा की गई किसी संविदा अथवा वचन–बद्धता को निभाने के लिए फिलहाल कंपनी की संपूर्ण अथवा किसी भी संपत्ति तथा उसकी अनमांगी पूंजी को बंधक रख देना अथवा उस पर प्रभार कायम कर देना अथवा अन्य किसी ढंग से, जैसा वे उचित समझें, उक्त संविदाओं आदि के पूरा होने को सुनिश्चित करना।
पदों का सृजन तथा अधिकारियों की नियुक्ति आदि	5.	पदों का सृजन तथा अधिकारियों की नियुक्ति करना आदि – समय–समय पर जैसा वे उचित समझें किसी स्थायी,, अस्थायी, अथवा विशेष सेवाओं के लिए मंडल स्तर से नीचे के सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, अभिकर्ताओं तथा नौकरों आदि के किसी भी वेतन के पदों का निर्माण करना, उन पर नियुक्तियां करना उनकी शक्तियों तथा उनके कर्तव्यों को निर्धारित करना, उसके वेतन तथा परिलब्धियों को निश्चित करना तथा जैसा और जितना वे उचित समझें वैसी जमानत तथा उसकी राशि लेना और स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उनकी निंदा करना, उनकी वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति को रोक रखना, लापरवाही अथवा आदेशों की अवहेलना की वजह से कंपनी को होने वाली संपूर्ण अथवा आंशिक आर्थिक हानि को उनके वेतन से वसूल करना उनको नीचे संवर्ग अथवा पद पर कर देना अथवा नीचे के समय वेतनमान अथवा उसी समय मान में नीचे का चरण देना, उनको नौकरी से हटा देना जो भविष्य में नौकरी के लिए कोई अनर्हता नहीं होगी अथवा नौकरी से निलंबित अथवा बर्खास्त कर देना जो सामान्यतः भविष्य में नौकरी के लिए अनर्हता मानी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की, चाहे वह सरकारी क्षेत्र से आया हो अथवा निजी क्षेत्र से, नियुक्ति नहीं की जाएगी जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो लेकिन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जिसकी

* आरम्भ में पूंजीगत व्यय बीस लाख रुपए तक थी जो कि बाद में इस प्रकार बढ़ाई गई
1982–83 – दो करोड़ रुपए तक
1986–87 – पांच करोड़ रुपए तक

पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के हितलाभों की पेंशन सदृश राशि को शामिल कर यदि उसका वेतन 2500 रुपए मासिक से अधिक बैठता हो और राष्ट्रपति ने इस संबंध में अपनी पूर्व स्वीकृति दे दी हो।

* परन्तु यह और कि मण्डल, बोर्ड स्तर के समकक्ष वेतनमानों में, कोई स्तर से नीचे के पद नहीं बनाएगा।

यह उपबंध किया जाता है कि संघटक इकाइयों के महाप्रबंधकों को नियुक्त करने की शक्ति सदैव निदेशक मंडल में निहित होगी और इन महाप्रबंधकों को नियुक्त करते समय सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का सदैव अनुसरण किया जाएगा।

न्यासधारी नियुक्त करना	6.	न्यासधारी नियुक्त करना– कंपनी की किसी भी संपत्ति अथवा ऐसी संपत्ति जिसमें कंपनी का हित निहित है अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए, कंपनी की ओर से उसका न्यास स्वीकार करने तथा उसे धारण करने के निमित्त किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों (चाहे वह निगमित हों या नहीं) की नियुक्ति करना तथा उस न्यास संबंधी सभी आवश्यक विलेखों को निष्पादित करना तथा कार्यों को करना तथा उक्त न्यासधारी अथवा न्यासधारियों के पारिश्रमिक की व्यवस्था करना।
कार्रवाई करना तथा बचाव करना	7.	कार्रवाई करना तथा बचाव करना आदि कंपनी अथवा उसके अधिकारियों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अथवा अन्य प्रकार से कंपनी से संबंधित मामलों में कोई कानूनी कार्रवाही प्रारंभ करना, उसका संचालन करना, उसका प्रतिवाद करना, समझौता करना अथवा उसका परित्याग करना तथा कंपनी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी दावे अथवा मांगों के संबंध में समझौता करना तथा उनके भुगतान अथवा शोधन के लिए समय की अनुमति देना।
विवाचन के लिए सौंपना	8.	विवाचन के लिए सौंपना– कंपनी के अथवा उसके विरुद्ध किसी दावे अथवा मांगों को विवाचन के लिए सौंपना; तथा पंचाटों को मानना तथा उनका पालन करवाना।
रसीदें देना	9.	रसीद देना– कंपनी को देय धन तथा कंपनी के दावों अथवा मांगों के संबंध में रसीद देना तथा उन्हें तैयार करना, उनसे मुक्ति देना तथा अन्य प्रकार से विमुक्त करना।
स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत करना	10.	स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत आदि करना– यह निश्चित करना कि कंपनी की ओर से बिलों, नोटों, रसीदों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों, चैकों, मुक्तियों, संविदाओं अथवा दस्तावेजों पर कौन हस्ताक्षर करेगा।
मुख्तार नियुक्त करना	11.	मुख्तार नियुक्त करना– समय–समय पर यथोचित ढंग से कंपनी के मामलों का प्रबंध करने की व्यवस्था करना और विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को यथोचित शर्तों पर कंपनी के मुख्तार अथवा अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करना तथा उसे वे शक्तियां (उप–प्रत्यायोजित करने की शक्ति सहित) प्रदान करना जिन्हें वे उचित समझें।
धन का निवेश करना	12.	धन निवेश करना– अधिनियम की धारा 292 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन, कंपनी के किसी भी धन का रिजर्व बैंक आफ इंडिया अथवा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किन्हीं प्रतिभूतियों में निवेश करना "जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो" तथा उक्त धन को (कंपनी के शेयर नहीं) जैसा वे उचित समझें उस ढंग से ऐसे निवेशों में उपयोग करना जो कंपनी की बहिर्नियमावली द्वारा प्राधिकृत है तथा समय–समय पर इन निवेशों में परिवर्तन करना तथा उन्हें उगाहना।

* 29.09.1992 की वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

क्षतिपूर्ति के रूप में जमानत देना	13.	क्षतिपूर्ति के रूप में जमानत देना–कंपनी के नाम में तथा उसकी ओर से किसी ऐसे निदेशक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में, जो कंपनी के लाभ के लिए कोई वैयक्तिक देयता उठा सकता है अथवा ऐसी देयता उठाने वाला है, कंपनी की संपत्ति (वर्तमान और भविष्य) को जैसा उचित समझें बंधक रखना और ऐसे बंधक में उसकी बिक्री करने की व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं, जो उभयसम्मत हों।
प्रतिशत देना	14.	प्रतिशत देना–राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, कंपनी द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यावसायिक सौदे के लाभों में कमीशन अथवा सामान्य लाभों में एक अंश प्रदान करना जो कंपनी के कार्यचालन खर्च का ही एक हिस्सा माना जाएगा।
बोनस प्रदान करना	15.	बोनस प्रदान करना–कंपनी के किसी कर्मचारी अथवा उसकी विधवा, उसके बच्चों अथवा आश्रितों को कोई बोनस, पेंशन, उपदान अथवा मुआवजा देना, प्रदान करना अथवा अनुमत करना, जो निदेशकों को उचित तथा न्यायसंगत प्रतीत हो, फिर चाहे वह कर्मचारी, उसकी विधवा, उसके बच्चे अथवा आश्रित कंपनी पर कोई कानूनी दावा रखतें हों अथवा नहीं।
उप नियम बनाना	16.	उप नियम बनाना–कंपनी के व्यवसाय, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विनियमन के लिए, समय–समय पर उपनियम बनाना, उनमें परिवर्तन करना तथा उनका निरसन करना।
भविष्यनिधि बनाना	17.	भविष्य निधि बनाना–लाभांश घोषित करने से पहले तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन कंपनी लाभों के उतने भाग को जितना वे उचित समझें एक ऐसी निधि बनाने के लिए अलग बचाकर रखना, जिससे पेंशन, उपदान अथवा मुआवजे की व्यवस्था हो सके अथवा उससे कोई भविष्य निधि अथवा हितलाभ निधि तैयार करना। इनके बनाने के ढंग का निर्धारण भी निदेशक ही करेंगे।
स्थानीय मंडल स्थापित करना	18.	स्थानीय मंडल स्थापित करना – भारत अथवा भारत से बाहर के किसी स्थान विशेष में कंपनी के किन्हीं कार्यों का प्रबंध करने के लिए समय–समय पर अथवा किसी भी सामय किसी स्थानीय मंडल को स्थापित करना, तथा किसी व्यक्ति को उसके सदस्य के रूप में नियुक्त करना तथा उनका पारिश्रमिक निश्चित करना तथा समय–समय पर अथवा किसी भी समय ऐसे नियुक्त व्यक्ति को मांग करने के उनके अधिकार को छोड़कर कोई भी ऐसी शक्तियों, ऐसे प्राधिकार अथवा विशेषाधिकार प्रत्यायोजित करना जो उस समय निदेशकों में निहित हैं; इस तरह के किसी भी स्थानीय बोर्ड के तत्कालीन सदस्यों अथवा उनमें से किसी एक सदस्य को उसमें किसी रिक्त स्थानों को भरने के लिए तथा रिक्त स्थानों के बावजूद कार्य करते रहने के लिए प्राधिकृत करना तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति अथवा प्रत्यायोजन उन शर्तों पर तथा उन प्रतिबंधों के अधीन किए जा सकते हैं जिन्हें निदेशक उचित समझें तथा निदेशक ऐसे नियुक्त व्यक्ति को किसी भी समय पद से हटा सकते हैं तथा उक्त प्रत्यायोजन को रद्द कर सकते हैं अथवा उसमें फेरबदल कर सकते हैं।
संविदाएं आदि करना	19.	संविदाएं आदि करना–कंपनी के नाम में अथवा उसकी ओर से ऐसे सभी परक्रामण तथा संविदाएं करना, तथा उक्त संविदाओं को रद्द करना अथवा उनमें परिवर्तन करना तथा वे सभी कृत्य, विलेख तथा कार्य निष्पादित करना जिन्हें वे उपर्युक्त मामलों में अथवा कंपनी के लिए लाभदायक अथवा उपयोगी समझते हैं।

शक्तियों का उप प्रत्यायोजन करना

20. शक्तियों का उप प्रत्यायोजन करना– अधिनियम की धारा 292 के अधीन, अंतिम नियंत्रण तथ प्राधिकार, जो उन्हीं के पास रहेगा, को छोड़कर वे उन सभी अथवा किसी शक्ति; प्राधिकार तथा विवेकाधिकार का उप प्रत्यायोजन कर सकते हैं, जो उस समय उनमें निहित है।

अंतर्नियम 82

निदेशकों का पारिश्रमिक

1. निदेशकों का वह पाश्रिमिक जो उनके मासिक भुगतान से संबंध रखता है, दिनों के आधार पर दिया जाएगा।

2. अधिनियम के अनुसार देय पारिश्रमिक के अलावा निदेशकों को निम्नलिखित कार्यों के लिए यात्रा का, होटल का तथा उनके द्वारा समुचित रूप से किया गया संपूर्ण खर्चा दिया जा सकता है।

   क. निदेशक मंडल अथवा उसकी किसी समिति अथवा कंपनी की सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आने और उसके बाद वापिस जाने का।

   ख. कंपनी के व्यवसाय के संबंध में।

अंतर्नियम 83

पंजीयन खर्च

पंजीयन खर्च– कंपनी को स्थापित करने तथा उसका पंजीयन कराने में होने वाले सभी खर्चों को मंडल अदा कर सकता है।

अंतर्नियम 84

विदेश में कंपनी की मुहर का उपयोग

विदेशों में प्रयोग के लिए एक कंपनी की मुहर रखने के संबंध में अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का कंपनी उपयोग कर सकती है और वह शक्ति मंडल में निहित होगी।

अंतर्नियम 85

परक्राम्य प्रपत्रों का आहरण तथा स्वीकृति

सभी चेक, वचन पत्र, ड्राफ्ट, हुंडियों, विनियम पत्र तथा अन्य परक्राम्य प्रपत्र तथा कंपनी को दिए धन की सारी रसीदें उन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, काटी, स्वीकृत पृष्ठांकित अथवा अन्य प्रकार से निष्पादित होंगी तथा उस ढंग से होंगी जैसा कि मंडल समय समय पर संकल्प द्वारा निर्धारित करे।

अंतर्नियम 86

हाजिरी रजिस्टर

मंडल की किसी बैठक अथवा उसकी किसी समिति में उपस्थित प्रत्येक सदस्य वहां रखी पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर करेगा।

मंडल की कार्यवाही

अंतर्नियम 87

मंडल द्वारा अपनी बैठकों का नियमन

1. निदेशक मंडल किन्हीं विषयों को निबटाने के लिए जैसा उचित समझे, बैठकें कर सकता है, उन्हें स्थगित कर सकता है और अन्य प्रकार से उनको संचालित कर सकता है।

सचिव बैठकें बुलाएगा

2. कोई निदेशक किसी भी समय, बैठक की मांग कर सकता है और उसकी मांग पर सचिव मंडल की बैठक बुलाएगा।

3. बैठक की कार्यवाही के लिए आवश्यक गणपूर्ति का निर्धारण निदेशक कर सकते हैं। अन्यथा निर्धारण न होने पर कुल निदेशकों की एक तिहाई संख्या (उस एक तिहाई में आने वाली एक से कम की संख्या को एक माना जाए) अथवा दो निदेशक, जो भी अधिक हो, गणपूर्ति होगी।

गणपूर्ति होने पर सभी शक्तियों के उपयोग के लिए सक्षम

4. निदेशकों की बैठक, फिलहाल जिसमें गणपूर्ति हो गई है, उन सभी अथवा किसी भी प्राधिकारों, शक्तियों तथा विवेकाधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम होगी जो कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा अथवा उनके अंतर्गत सामान्य रूप से निदेशकों में निहित किए गए हैं अथवा उनके द्वारा प्रयोज्य हैं।

5. अध्यक्ष किसी भी ऐसे प्रस्ताव अथवा निर्णय को राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगा जो उसकी राय में ऐसा करने के लिए उपयुक्त है।

6. उपर्युक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यक्ष निम्नलिखित विषयों को केंद्रीय सरकार के निर्णय के लिए सुरक्षित रखेगा।

(i) ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें *5 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय हो;

(ii) आरक्षण तथा विशेष निधियों का निर्माण;

(iii) कंपनी के संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण उपक्रम की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी प्रकार से निबटान;

(iv) किसी नियंत्रित कंपनी का गठन

(v) पूंजी का विभिन्न वर्गों के शेयरों में विभाजन; तथा

(vi) कंपनी का समापन

<u>अंतर्नियम 88</u>

कार्यवृत्त पुस्तिका

निदेशक निम्नलिखित विषयक कार्यवृत्त को इसके लिए बनी पुस्तिका में लिखवाएंगे :–

(क) निदेशकों द्वारा की गई अधिकारियों की अथवा किन्हीं भी निदेशकों की समितियों की सभी नियुक्तियां

(ख) निदेशकों की अथवा निदेशकों की किसी समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित निदेशकों के नाम

(ग) कंपनी, निदेशकों तथा उनकी समितियों की सभी बैठकों के संकल्प तथा उनकी कार्यवाही तथा उक्त बैठकों में उपस्थित प्रत्येक निदेशक इस प्रयोजन के लिए रखी पुस्तिका में अपने हस्ताक्षर करेगा।

(घ) बैठक में पारित होने वाले प्रत्येक संकल्प से संबंध में ऐसे निदेशकों, यदि कोई हों, के नाम जो उस संकल्प से विमत अथवा असहमति रखते हैं।

<u>अंतर्नियम 89</u>

बहुमत द्वारा निर्णय

1. अधिनियम की व्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधों को छोड़कर मंडल की किसी बैठक में उठाए गए प्रश्नों पर वोटों के बहुमत के आधार पर निर्णय होगा।

* आरम्भ में पूंजीगत व्यय बीस लाख रुपए तक था जो कि बाद में इस प्रकार बढ़ाया गया :–
1982–83 – दो करोड़ रुपए तक
1986–87 – पांच करोड़ रुपए तक

अध्यक्ष का निर्णायक मत

2. यदि किसी समय पक्ष और विपक्ष में बराबर–बराबर मत आते हैं तो मंडल के अध्यक्ष को दूसरा अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

अंतर्नियम 90

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रक्रिया

यदि किसी समय बैठक के निश्चित समय के पांच मिनट के अंदर–अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।

अंतर्नियम 91

समितियों को प्रत्यायोजन

1. अधिनियम के उपबंधों के अधीन, मंडल अपनी शक्तियों में से किसी भी शक्ति को अपने सदस्य अथवा सदस्यों से बनी समितियों में प्रत्यायोजित कर सकता है।

समिति विनियमों के अनुसार कार्य करेगी

2. इस रूप में गठित समिति, प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने में उन सभी विनियमों के अनुसार कार्य करेगी जो मंडल द्वारा उस पर लागू किए जाएं।

3. उक्त समिति की कार्यवाहियां निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएं।

अंतर्नियम 92

समिति के अध्यक्ष का चुनाव

1. समिति अपनी बैठकों का अध्यक्ष चुन सकती है।

2. यदि इस तरह का अध्यक्ष नहीं चुना गया है अथवा यदि किसी बैठक में अध्यक्ष बैठक के लिए निश्चित समय के बाद पांच मिनट के अंदर नहीं आता तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।

अंतर्नियम 93

समिति अपनी बैठक संचालित कर सकती है

1. समिति, जैसा उचित समझे, बैठक कर सकती है तथा स्थगित हो सकती है।

बहुमत द्वारा निर्णय

2. समिति की बैठक में उठने वाले प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा और एक समान मत आने पर अध्यक्ष का दूसरा अथवा निर्णायक मत होगा।

अंतर्नियम 94

मंडल अथवा समिति के कृत्य कुछ औपचारिकताओं के अभाव द्वारा अमान्य नहीं होंगे

मंडल की किसी बैठक अथवा उसकी किसी समिति अथवा निदेशक के रूप में उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कृत्य, बाद में, यह पता चलने के बावजूद कि उक्त निदेशकों में से किसी एक अथवा एकाधिक निदेशक अथवा उपर्युक्त रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष था अथवा उनमें से कोई व्यक्ति अयोग्य था, उसी प्रकार वैध होंगे जैसे कि उक्त प्रत्येक निदेशक अथवा व्यक्ति निदेशक के रूप में विधिवत् नियुक्त किया गया था तथा उसके लिए अर्हता प्राप्त था।

अंतर्नियम 95

मंडल अथवा समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प वैध

अधिनियम में व्यक्त रूप से अन्यथा की गई किसी व्यवस्था को छोड़कर, कोई लिखित संकल्प जिस पर मंडल अथवा समिति के उन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, जो फिलहाल मंडल अथवा समिति की बैठक का नोटिस पाने के अधिकारी हैं, उसी प्रकार वैध तथा प्रभावी होगा जैसा कि वह मंडल अथवा समिति की विधिवत् बुलाई गई तथा हुई बैठक द्वारा पारित हो।

सचिव

अंतर्नियम 96

सचिव की नियुक्ति

1. मंडल द्वारा उस अवधि के लिए उस पारिश्रमिक पर तथा उन शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, एक सचिव नियुक्त किया जा सकता है तथा उपर्युक्त प्रकार से नियुक्त सचिव को हटाया जा सकता है।

2. किसी निदेशक को सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

अंतर्नियम 97

अधिनियम अथवा इन अंतर्नियमों के उस उपबंध को, जिसके अनुसार किसी कार्य विशेष को निदेशक तथा प्रबंधक अथवा सचिव के लिए अथवा निदेशक तथा प्रबंधक अथवा सचिव द्वारा निष्पादित होना आवश्यक है अथवा जिसके लिए वे ही प्राधिकृत हैं, उस स्थिति में पूरा हुआ नहीं माना जाएगा जब वह कार्य ऐसे व्यक्ति के लिए अथवा द्वारा हो रहा है जो एक साथ निदेशक के रूप में तथा प्रबंधक अथवा सचिव के रूप में अथवा स्थान पर कार्य कर रहा है।

मुहर

अंतर्नियम 98

मुहर की अभिरक्षा

1. मंडल कंपनी की मुहर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का प्रबंध करेगा।

मुहर लगाने की प्रक्रिया

2. कंपनी की मुहर मंडल अथवा उसके द्वारा इस काम के लिए प्राधिकृत किसी समिति के संकल्प के प्राधिकार के अलावा किसी भी विपत्र पर अंकित नहीं की जाएगी तथा यह समिति द्वारा नामित कम से कम एक प्रभागीय प्रबंधक तथा सचिव अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें इस प्रयोजन के लिए मंडल नियुक्त करे, की उपस्थिति में ही अंकित की जाएगी तथा वह प्रभागीय प्रबंधक तथा सचिव अथवा उपयुक्त अन्य व्यक्ति उस प्रत्येक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे जिनकी उपस्थिति में वह मुहर अंकित की गई है।

लाभांश तथा आरक्षित निधि

अंतर्नियम 99

लाभांशों की घोषणा

सामान्य बैठक में कंपनी लाभांश घोषित कर सकती है परंतु उसकी राशि मंडल द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक नहीं होगी।

अंतर्नियम 100

अंतरिम लाभांश

मंडल समय–समय पर सदस्य को वह अंतरिम लाभांश दे सकता है जो उसे कंपनी के लाभों के अनुसार उचित प्रतीत हो।

अंतर्नियम 101

* लाभों से आरक्षित निधि बनाना–

1. निदेशक किसी लाभांश की सिफारिश करने से पहले, कंपनी के लाभों में से जितनी उचित समझें उतनी राशि, आकस्मिकताओं की पूर्ति, अथवा लाभांशों के समकरण अथवा विशेष लाभांशों के लिए अथवा कंपनी की किसी संपत्ति की मरम्मत कराने,

* 29.09.1992 को वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

उसमें सुधार कराने तथा उसका अनुरक्षण करने के लिए अथव पूंजी का परिशोधन करने के लिए अथवा ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसे निदेशक पूर्ण स्वविवेक से कंपनी के हितों के लिए उपादेय समझते हैं, आरक्षित निधि हेतु अलग रख सकते हैं और इस तरह से अलग निकाली गई अनेक राशियों को जिन निवेशों में (कंपनी के शेयरों के अलावा) निविष्ट कर सकते हैं; समय–समय पर ऐसे निवेशों का सौदा करना तथा उनमें घट–बढ़ करना तथा कंपनी के लाभ के लिए उन सबको अथवा उनके किसी भाग को निबटाना; तथा आरक्षित निधियों का जैसी उचित समझें वैसी विशेष निधियों में विभाजित तथा आरक्षित निधियों अथवा उनके किसी भाग को अन्य परिसंपत्तियों से अलग बनाये रखने के बंधन बिना कंपनी के व्यवसाय में लगा सकते हैं।

2. मंडल यदि किसी लाभ को विभाजित करना ठीक नहीं समझता उसे आरक्षित निधि के लिए अलग रखे बिना अग्रनीत भी कर सकता है।

अंतर्नियम 102

लाभांशों का भुगतान

1. सभी लाभांश, उन शेयरों पर दत्त अथवा दत्त के रूप में जमा राशियों के अनुसार घोषित तथा अदा किया जाएगा, जिनके संबंध में लाभांश अदा किया जाना है लेकिन कंपनी के किसी शेयर पर यदि तथा जब तक कुछ भी राशि प्रदत्त नहीं की गई है तो लाभांश शेयरों की राशि के अनुसार घोषित तथ अदा किया जा सकता है।

2. किसी शेयर पर मांगों के अग्रिम के रूप में दत्त अथवा दत्त के रूप में जमा कोई राशि इस विनियम के प्रयोजन के लिए शेयर पर दत्त राशि के रूप में नहीं मानी जाएगी।

अंतर्नियम 103

लाभांशों का वसूलियाँ

सदस्य को देय लाभांश में से मंडल उन सभी धनराशियों को, यदि कोई हो, काट सकता है जो उसके द्वारा कंपनी को शयेरों पर मांगों अथवा अन्य किसी प्रकार के सबंध में वर्तमान में देय है।

अंतर्नियम 104

लाभांशों का विशिष्ट परिसंपत्तियों में से भुगतान

1. लाभांश अथवा बोनस की घोषणा करने वाली कोई भी सामान्य बैठक उसे, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, विशिष्ट परिसंपत्तियों के वितरण द्वारा अदा करने का निर्देश दे सकती है; और मंडल उस बैठक के संकल्प को लागू करेगा।

विशिष्ट परिसंपत्तियों से खंडश : प्रमाण पत्र जारी करना तथा मूल्यांकन करना

2. यदि इस तरह के विरतण में कोई कठिनाई आए तो मंडल जैसा व्यावहारिक समझे उसका समाधान करे और विशेष रूप में मंडल जैसा उचित समझे ऐसी विशिष्ट परिसंपत्तियों अथवा उसके किसी भाग के वितरण हेतु खंडशः प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और उसका मूल्य निश्चित कर सकता है तथा यह भी तय कर सकता है कि सभी पक्षों के अधिकारों का समंजन करने के लिए इस तरह निश्चित किए गए मूल्य के आधार पर ही किसी सदस्य को नकद भुगतान किया जाएगा तथा ऐसी विशिष्ट परिसंपत्तियों को न्यासधारियों में निहित कर सकता है।

अंतर्नियम 105

लाभांशों का भुगतान आदेशिती को देय चेक अथवा अधिपत्र द्वारा

1. शेयर के संबंध में देय किसी लाभांश, ब्याज अथवा अन्य नगद राशियों का भुगतान चेक अथवा अधिपत्र द्वारा शेयरधारी के पंजीकृत पते पर अथवा संयुक्त धारकों के मामले में उस व्यक्ति के पंजीकृत पते पर, जिसका नाम सदस्यों की पंजी में उन संयुक्त धारकों में सबसे पहले आता है, अथवा उस व्यक्ति को अथवा उसी पते पर, जिस पर शेयरधारी अथवा संयुक्त धारक लिखित रूप से निर्देश दें, डाक से भेज कर किया जा सकता है।

2. उक्त प्रत्येक चेक अथवा अधिपत्र की रकम उस पर अंकित नाम के आदेशिती को भी देय होगी।

अंतर्नियम 106

संयुक्त धारकों द्वारा मान्य रसीद

दो अथवा उससे अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक शेयरधारी उस शेयर पर देय किसी लाभांश, बोनस अथवा अन्य धनराशि के लिए मान्य रसीद दे सकता है।

अंतर्नियम 107

लाभांश की सूचना का दिया जाना

किसी शेयर के संबंध में घोषित लाभांश की सूचना अधिनियम में उल्लिखित ढंग से उन सभी व्यक्तियों को दी जाएगी जिनका उसमें अधिकार है।

अंतर्नियम 108

लाभांश केवल लाभों में से ही दिया जाना है

लाभांश पाना कंपनी के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होगा। कोई भी लाभांश कंपनी के वर्ष भर के अथवा अन्य किसी अवधि के लाभों अथवा अन्य किसी अवितरित लाभों के अलावा किसी अन्य प्रकार से देय नहीं होगा। कंपनी के निवल लाभों की राशि के संबंध में की गई निदेशकों की घोषणा अंतिम तथा निर्णायक मानी जाएगी।

अंतर्नियम 109

मांगों के हिसाब में लाभांश का समंजन

लाभांश की घोषणा करने वाली कोई सामान्य बैठक उसमें निश्चित की गई किसी राशि की सदस्यों से मांग कर सकती है लेकिन किसी सदस्य से की गई मांग की राशि उसको मिलने वाले लाभांश की राशि से अधिक नहीं होगी तथा मांग की राशि लाभांश के समय पर ही देय होगी और यदि कंपनी तथा सदस्यों के बीच सहमति हो जाए तो लाभांश की राशि का समंजन मांग के हिसाब में किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत मांग करना लाभांश की घोषणा करने वाली साधारण सभा का एक साधारण कार्य माना जाएगा।

अंतर्नियम 110

शेयर के अंतरण के बाद लाभांश

शेयर का अंतरण उस पर बाद में घोषित लाभांश का अधिकार नहीं देगा जब तक कि उस अंतरण का पंजीयन न हो जाए।

अंतर्नियम 111

शेयर के हस्तांतरण पर लाभांशों को रोक रखना

निदेशक ऐसे शेयरों पर जिनके संबंध में कोई व्यक्ति हस्तांतरण धारा के अधीन सदस्य बन जाने का अधिकारी है अथवा उसी धारा के अधीन कोई व्यक्ति उनका अंतरण करने का अधिकारी है, देय लाभांशों को तब तक रोक रख सकते हैं, जब तक कि उक्त व्यक्ति उक्त शेयरों के संबंध में सदस्य बन नहीं जाएगा अथवा यथाविधि उनका अंतरण नहीं कर देगा।

*अंतर्नियम 112

अदावी लाभांशों का निवेश

मंडल द्वारा कोई अदावी लाभांश जब्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका दावा कानून द्वारा बाधित नहीं होता और कंपनी, सभी अदावी या अदेय लाभांशों के बारे में अधिनियम की धारा 205ए के सभी प्रावधानों का पालन करेगी।

लेखा

अंतर्नियम 113

सदस्यों द्वारा लेखा बहियों का निरीक्षण

1. मंडल समय–समय पर यह निर्धारित करेगा कि क्या तथा किस सीमा तक तथा किस समय तथा कहां पर तथा किन शर्तों अथवा विनियमों के अधीन कंपनी के लेखे अथवा खाता बहियाँ निदेशकों के अलावा अन्य सदस्यों के निरीक्षणार्थ खुले रहेंगे।

2. कानून द्वारा प्रदत्त अथवा मंडल अथवा सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा प्राधिकृत सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य को (जो निदेशक नहीं है) कंपनी के किसी हिसाब अथवा बहीखाते अथवा दस्तावेज के निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा।

अंतर्नियम 114

वार्षिक लेखा तथा तुलन पत्र

अधिनियम की धारा 210 के उपबंधों के अधीन, निदेशक, किसी तारीख को, कंपनी के पंजीयन के ज्यादा से ज्यादा 18 महीने के बाद और तत्पश्चात प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में, पहली बार कंपनी के पंजीयन से बाद की अवधि के बारे में और तत्पश्चात उस अवधि के बारे में जो इससे पहले प्रस्तुत करने से लेकर उस तारीख तक का होगा जो बैठक की तारीख से छह महीने से अधिक पहले का नहीं हो, कंपनी का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा प्रस्तुत करेंगे।

अंतर्नियम 115

निदेशकों की वार्षिक रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 217 के अनुसार निदेशक एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके प्रत्येक तुलन पत्र के साथ नत्थी करेंगे जिसमें कंपनी की स्थिति, वह राशि, यदि कोई हो जिसकी वे लाभांश के रूप में देने की सिफारिश करते हैं तथा वह राशि, यदि कोई हो, जिसे वे तुलन पत्र में विशिष्ट रूप से दिखाए गए आरक्षित निधि, सामान्य अथवा आरक्षण लेखा अथवा बाद के तुलन पत्र में विशिष्ट रूप में दिखाए जाने वाले आरक्षित निधि, सामान्य आरक्षण अथवा आरक्षण लेखा में ले जाने का प्रस्ताव करते हैं, का उल्लेख होगा। उक्त रिपोर्ट पर, यदि निदेशकों ने प्राधिकृत किया हो तो निदेशक मंडल के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे और यदि वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है तो उस पर उतने निदेशकों के हस्ताक्षर होंगे जितने अधिनियम की धारा 215 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखा पर हस्ताक्षर करने के लिए अपेक्षित हैं।

अंतर्नियम 116

लाभ–हानि लेखा का विवरण

तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखा के प्रारूप अधिनियम की धारा 211 के उपबंधों के अनुरूप होने चाहिए। लाभ–हानि लेखा में अधिनियम की धारा 211 में उल्लिखित मामलों के अलावा, अत्यंत सुविधाजनक शीर्षों के अंतर्गत सकल आय का, जिसमें उसे प्राप्त करने के अनेक स्रोतों को अलग–अलग दिखाया जाए तथा सकल व्यय की राशि का, जिसमें स्थापना खर्च, वेतन

* 29.09.1992 को हुई वार्षिक आम सभा में यथा संशोधित

अथवा अन्य खर्चों को अलग–अलग दिखाया जाए उल्लेख हो। व्यय की वह प्रत्येक मद जो वर्ष की आय पर समुचित रूप से प्रभार्य है हिसाब में लिखी जाएगी जिससे लाभ–हानि का एक ठीक संतुलन बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके और ऐसे मामलों में जहां खर्च की कोई मद ऐसी है जिसे उचित रूप में अनेक वर्षों में वितरित किया जा सकता है किन्तु वह एक वर्ष में ही हुआ है, ऐसी मद की पूरी रकम लिखी जाएगी और साथ में वे कारण दिए जाएंगे जिनकी वजह से उस व्यय के एक अंश को ही वर्ष की आय पर प्रभारित किया गया है।

अंतर्नियम 117

तुलन पत्र तथा अन्य प्रलेख प्रत्येक सदस्य के पते पर भेजना

कंपनी उक्त तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखा की एक–एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सहित, प्रत्येक सदस्य के पंजीकृत पते पर यहां उल्लिखित नोटिस भेजने के ढंग के अनुसार बैठक होने से कम से कम 21 दिन पहले भेजेगी जिसमें उन्हें कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा और उसकी एक प्रति बैठक में कम से कम 21 दिन पहले कंपनी के सदस्यों के निरीक्षणार्थ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करेगी।

अंतर्नियम 118

निदेशकों द्वारा अधिनियम की धारा 209 से 222 तक का अनुपालन

निदेशक अधिनियम की धारा 209 से 222 तक अथवा उसमें हुए किसी कानूनी संशोधन, जो उस समय लागू हों, के ऐसे उपबंधों का, जो कंपनी के संबंध में लागू हों, सभी तरह से अनुपालन करेंगे।

अंतर्नियम 119

लेखा परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार

अधिनियिम में उपबंधित एक अथवा एकाधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी के हिसाब–किताब की जांच होगी और वे लाभ–हानि लेखा तथा तुलन पत्र के ठीक होने को प्रमाणित करेंगे।

अंतर्नियम 120

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी के लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की सलाह पर केन्द्रीय सरकार करेगी और उसके/उनके अधिकार तथा कर्त्तव्यों का विनियमन अधिनियम की धारा 224 से 233, जिसे धारा 619 के साथ पढ़ा जाए, द्वारा होगा।

अंतर्नियम 121

सामान्य बैठक में उपस्थित रहने के लिए लेखापरीक्षकों को सूचना

कंपनी के लेखा परीक्षकों को कंपनी की उन सामान्य बैठकों की तथा उनमें उपस्थित रहने की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जिनमें उनके द्वारा परीक्षित अथवा जिन पर उन्होंने रिपोर्ट दी है ऐसे कोई हिसाब–किताब पेश किए जा रहे हैं, तथा वे उस बैठक में यदि चाहें उस हिसाब–किताब से संबंधित कोई बयान अथवा स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

अंतर्नियम 122

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां

भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वे–

क. उस ढंग का निर्देश करें जिसके अनुसार अंतर्नियम 120 के अनुरूप नियुक्त लेखा–परीक्षक कंपनी के हिसाब–किताब की लेखा परीक्षा करें और उक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों को अपने कार्य के निष्पादन से संबंधित किसी मामले में अनुदेश दें।

अदावी लाभांशों का निवेश

ख. अपने द्वारा इस काम के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से कंपनी के लेखों की अनुपूरक अथवा नमूना लेखा परीक्षा कराएं; तथा इस तरह की लेखा परीक्षा के प्रयोजन से किसी भी समुचित समय में सभी लेखों को प्राप्त करें। अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पास किसी मामले पर किसी ढंग से कंपनी की लेखा बहियों, वाउचरों, दस्तावेजों तथा अन्य प्रपत्रों और किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से किसी सूचना अथवा अतिरिक्त सूचना भेजने का निदेश करें।

अंतर्नियम 123

लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर महानियंत्रक तथा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

उपर्युक्त लेखापरीक्षक अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति भारत के महानियंत्रक तथा लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा/करेंगे जिसे उस पर अपनी टिप्पणी देने अथवा जैसा वह उचित समझे उस ढंग से उस लेखा परीक्षा का अनुपूरण करने का अधिकार होगा। लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई इन टिप्पणियों का अथवा उसके अनुपूरक को कंपनी की सामान्य बैठक में उसी समय तथा उसी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा जैसे कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

अंतर्नियम 124

परीक्षित लेखे अंतिम माने जाएंगे

परीक्षिति हो जाने तथा सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् कंपनी का प्रत्येक लेखा अंतिम होगा सिवाय उस स्थिति के जब कि उनके अनुमोदन के पश्चात् तीन महीने के अंदर उसमें कोई त्रुटि ढूंढ ली गई हो/उक्त अवधि में ढूंढ ली गई त्रुटि के अनुसार लेखों को तत्काल ठीक कर दिया जाएगा और उसके बाद वे अंतिम माने जाएंगे।

लाभों का पूंजीकरण

अंतर्नियम 125

सामान्य बैठकों में अथवा लाभों के पूंजीकरण अथवा लाभ–हानि लेखे में जमा अथवा वितरण की कंपनी की शक्तियां

1. मंडल की सिफारिश पर कंपनी सामान्य बैठक में यह संकल्प पारित कर सकती है कि– (क) यह वांछनीय है कि फिलहाल कंपनी की किसी आरक्षित निधि अथवा लाभ–हानि लेखा में जमा राशि को अथवा अन्य प्रकार से वितरण के लिए प्राप्त राशि को पंजीकृत कर लिया जाए; (ख) तदनुसार उक्त राशि को इस अंतर्नियम के खंड में निर्दिष्ट ढंग से उन सदस्यों के बीच वितरित करने के लिए मुक्त किया जाए।

वितरण के लिए प्राप्य राशि का अनुप्रयोग

2. जो उसके लिए ऐसी स्थिति में अधिकारी हो जाते यदि वह लाभांश के रूप में तथा उसी अनुपात से उनमें बांट दी गई होती। उपर्युक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी बल्कि खंड (3) के उपबंधों के अधीन, निम्नलिखित में अथवा उनके लिए प्रयुक्त की जाएगी–

(i) उक्त सदस्यों द्वारा धारित किसी शेयर पर फिलहाल अदत्त राशि के भुगतान के लिए;

(ii) कंपनी के ऐसे अविक्रीत शेयरों अथव ऋणपत्रों को पूरी तरह से चुकता करने के लिए जो पूर्ण चुकता रूप में उक्त सदस्यों को अथवा उनके बीच में उपर्युक्त अनुपात में आबंटित तथा वितरित किए जाने थे अथवा उनके नाम किए जाने थे।

(iii)आंशिक रूप से उपखंड (क) में निर्दिष्ट ढंग से और आंशिक रूप से उपखंड (ख) में निर्दिष्ट ढंग से प्रयुक्त करने के लिए।

शेयर प्रीमियम लेखा तथा पूंजी प्रतिदान आरक्षण का अनुप्रयोग

3. इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शेयर प्रीमियम लेखा तथा पूंजी प्रतिदान आरक्षण निधि का उपयोग उन अविक्रीत शेयरों का भुगतान करने में किया जाएगा, जो पूर्ण चुकता बोनस शेयर के रूप में कंपनी के सदस्यों को जारी किए जाने हैं।

कंपनी के इस संकल्प को मंडल लागू करेगा

4. इस विनियम के अनुसार कंपनी द्वारा पारित संकल्प को मंडल लागू करेगा।

अंतर्नियम 126

कंपनी के संकल्पों को लागू करने की प्रक्रिया

1. उपर्युक्त प्रकार के किसी संकल्प के पारित होने पर मंडल निम्नलिखित कार्य करेगा– (क) ऐसे अवितरित लाभों का, जिन्हें इस संकल्प द्वारा पूंजीकृत किया जाना है, सभी प्रकार से विनियोजन तथा उनका अनुप्रयोग तथा पूर्ण चुकता शेयरों अथवा ऋणपत्रों, यदि कोई हों, का आबंटन तथा जारी करना; तथा (ख) सामान्य रूप से वे सभी कार्य अथवा बातें जो उसे लागू करने के लिए आवश्यक हैं।

2. मंडल को निम्नलिखित के बारे में पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी–

(क) यदि शेयर अथवा ऋणपत्र खंडशः ही वितरित हो सकते हैं तो खंडशः प्रमाणपत्र जारी करके अथवा नगद भुगतान करके अथवा अन्य कोई व्यवस्था करके उसका प्रबंध करना;

(ख) सभी अधिकारी सदस्यों की तरफ से किसी एक व्यक्ति को कंपनी के साथ यह करार करने के लिए प्राधिकृत करना जिसमें व्यवस्था हो कि उन्हें वे शेयर अथवा ऋणपत्र पूर्ण चुकता रूप में क्रमानुसार आबंटित अथवा उनके नाम कर दिए जाएं, जिनके लिए पूंजीकरण के बाद, वे अधिकारी हो सकते हैं अथवा (जिस मामले में जो भी आवश्यक हो) प्रस्तावित पूंजीकृत लाभों के उनके अंश को विद्यमान शेयरों की अदत्त राशि अथवा उसके किसी भाग को उनकी ओर से अदा करने में प्रयुक्त कर दे।

करार सभी सदस्यों के लिए बंधनकारी

3. उक्त प्राधिकार के अंतर्गत किया गया करार सभी सदस्यों पर लागू होगा तथा वह सभी के लिए बंधनकारी होगा।

समापन

अंतर्नियम 127

समापन की स्थिति में परिसंपत्ति का वितरण

1. यदि कंपनी का समापन होता है तो परिसमापक कंपनी के एक विशेष संकल्प की मंजूरी से तथा अधिनियम द्वारा अपेक्षित किसी अन्य संस्वीकृति से कंपनी की सभी परिसंपत्तियों अथवा उसके किसी भाग को, चाहे वह एक प्रकार की हो अथवा कई प्रकार की, सभी प्रकार के सदस्यों के बीच बांट सकता है।

2. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए परिसमापक उपर्युक्त प्रकार से विभाजित की जाने वाली संपत्ति का जितना उचित समझे मूल्य निर्धारित कर सकता है और वह यह भी निर्धारित कर सकता है कि सदस्यों अथवा सदस्यों के विभिन्न वर्गों के बीच उक्त विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा।

3. परिसमापक, इस तरह की संस्वीकृति के साथ, उक्त सभी परिसंपत्तियों अथवा उनके किसी एक भाग को, अंशदाताओं के हित में, न्यासधारियों के अधीन किसी ऐसे न्यास में रख सकता है जिसे परिसमापक उस संस्वीकृति के साथ, उचित समझे लेकिन जिससे कोई भी सदस्य ऐसे शेयर अथवा प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा जिस पर कोई देयता है।

सामान्य

अंतर्नियम 128

निर्देश जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार

इन अंतर्नियमों में दी गई किसी भी व्यवस्था के बावजूद राष्ट्रपति, समय–समय पर ऐसे निर्देश अथवा अनुदेश जारी कर सकते हैं जो कंपनी के वित्त, व्यवसाय के संचालन तथा उसके मामलों के संबंध में आवश्यक समझे जाएं। इस तरह से जारी किए गए निर्णयों अथवा अनुदेशों को कंपनी तत्काल लागू करेगी। विशेष रूप से राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी–

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा महत्वपूर्ण लोक हित के मामले में इसके कार्यों के निष्पादन अथवा कर्तव्य पालन के बारे में उद्यम का दिशा निर्देश करना,

(ii) उद्यम से समय–समय पर अपेक्षित उसकी संपत्ति तथा गतिविधियों के बारे में विवरण, लेखा तथा अन्य सूचनाएं मंगाना,

(iii) विकास की पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं तथा पूंजीगत बजट को स्वीकृत करना तथा

(iv) विदेशी सहयोग के लिए प्रस्तावित करारों को स्वीकृति प्रदान करना।

बशर्ते कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश चेयरमैन को लिखित रूप में प्रेषित किए जाएं। बोर्ड उन मामलों को छोड़कर जहां भी राष्ट्रपति के मत से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए गोपनीयता आवश्यक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निर्देशों के विषय को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव को भी दर्शाएगा।

क्षतिपूर्ति

अंतर्नियम 129

निदेशकों तथा अन्य का क्षतिपूर्ति का अधिकार

अधिनियम के उपबंधों के अधीन, कंपनी के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को कंपनी से उन सभी लागतों, हानियों, क्षतियों तथा खर्चों की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा तथा निदेशकों का यह कर्तव्य होगा कि वे कंपनी के धन में से उन्हें अदा करें जो उक्त अधिकारी अथव कर्मचारी को निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी होने की वजह से किसी संविदा को करने में अथवा काई कार्य करने में उठाने पड़े हैं अथवा उनके कारण उस पर देयता आ पड़ी है अथवा अपने कर्तव्य के निर्वाह में यात्रा व्यय समेत खर्चे करने पड़े हैं तथा पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता को सीमित न करते हुए विशेष रूप से ऐसी सारी देयताओं की क्षतिपूर्ति जो निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी के रूप में किसी सिविल अथवा फौजदारी की ऐसी अदालती कार्यवाहियों के बचाव करने से उत्पन्न हुई है, जिनका फैसला उसके पक्ष में हुआ है अथवा जिनमें वह छूट गया है अथवा अधिनियम की धारा 633 के अंतर्गत किसी आवेदन पत्र के संबंध में जिसमें कि न्यायालय मुक्ति मंजूर करता है।

कोई प्रतिनिधायी उत्तरदायित्व नहीं

अंतर्नियम 130

अधिनियम के उपबंधों के अधीन, कोई भी निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी अन्य निदेशक अथवा अधिकारी के कृत्यों, रसीदों, लापरवाहियों अथवा चूकों के लिए अथवा किसी रसीद अथवा सहमति के किसी अन्य कृत्य में संयुक्त होने के लिए अथवा कंपनी के लिए अथवा उसकी ओर से निदेशकों के आदेश द्वारा अधिग्रहीत किसी संपत्ति के स्वत्वाधिकार में किसी कमी अथवा अपर्याप्तता की वजह से कंपनी को होने वाली किसी हानि अथवा किसी खर्चे के लिए अथवा जिस जमानत पर अथवा जिसके एवज कंपनी की धनराशि का निवेश होगा उस जमानत में अपर्याप्तता अथवा कमी के लिए अथवा उस किसी व्यक्ति के जिसके पास कोई धन, प्रतिभूतियां अथवा माल जमा है, दिवालिया, शोधाक्षम हो जाने अथवा उसके अन्यायपूर्ण कृत्य के कारण होने वाली हानि अथवा क्षति के लिए अथवा उससे अनुमान की मूल अथवा असावधानी हो जाने की वजह से होने वाली किसी हानि के लिए अथवा अन्य किसी हानि, क्षति अथवा विपत्ति के लिए जो उन्हें अपने पद के कर्तव्यों के पालन में संभावित हो सकते हैं, उत्तरदायी नहीं होगा बशर्ते कि वे उसकी अपनी लापरवाही, चूक, कर्तव्य भंग अथवा अमानत में खयानत के कारण नहीं हुई है।

सदस्यों को नोटिस कैसे दिया जाए

अंतर्नियम 131

1. कंपनी द्वारा किसी सदस्य को या तो व्यक्तिगत रूप में अथवा उसके पंजीकृत पते पर अथवा इसके अभाव में उसके द्वारा कंपनी को नोटिस भेजने के लिए दिए गए किसी अन्य पते पर डाक द्वारा भेजकर नोटिस दिया जा सकता है।

2. जब डाक द्वारा नोटिस भेजा जाए तो उसकी सर्विस प्रभावी हुई मानी जाएगी यदि उस पर ठीक पता लिख दिया गया है, टिकट लगा दिया गया है तथा नोटिस के लिफाफे को डाक में डाल दिया गया है तथा जब तक अन्यथा सिद्ध न हो, उस समय प्रभावी हो जाएगी जब वह डाक की सामान्य प्रक्रिया में डिलीवर हो जाएगी।

पंजीकृत शेयरधारी पते की सूचना देंगे

अंतर्नियम 132

पंजीकृत शेयरधारी, जिसके पते का कोई पंजीकृत स्थान नहीं, समय–समय पर लिखित रूप में कंपनी को अपने पते के बारे में सूचना देगा। यह पता पूर्ववर्ती अंतर्नियम के अर्थानुसार उसका पंजीकृत पता माना जाएगा।

विज्ञापन द्वारा सूचना

अंतर्नियम 133

यदि किसी सदस्य का कोई पंजीकृत पता न हो और उसने कंपनी को अपना पंजीकृत पता नहीं दिया हो ताकि उसे नोटिस भेजा जा सके तो उसके नाम एक नोटिस लिखा जाएगा तथा उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के आस–पास परिचालित अखबार में विज्ञापित किया जाएगा और उसे सदस्य को उसी दिन विधिवत दिया हुआ माना जाएगा जिस दिन अखबार में उक्त विज्ञापन छपा हो।

संयुक्त शेयरधारियों को नोटिस

अंतर्नियम 134

कंपनी शेयर रजिस्टर में अंकित सबसे पहले वाले संयुक्त शेयरधारी के नाम नोटिस भेजकर किसी शेयर के संयुक्त धारियों को नोटिस भेज सकती है।

कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस

अंतर्नियम 135

कंपनी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने के फलस्वरूप शेयर का अधिकारी होता है पूर्ववत पत्र से डाक द्वारा उसके नाम से अथवा उसके स्वत्व से अथवा मृत सदस्य के प्रतिनिधियों को अथवा दिवालिया सदस्य के समनुदेशी अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य संबोधन से संबोधित और उक्त अधिकार का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा भेजे गए पते पर (यदि कोई हो) अथवा यदि ऐसा कोई पता नहीं दिया गया है, तो उस ढंग से नोटिस भेज सकती है जैसे कि सदस्य की मृत्यु न हुई होती अथवा दिवालिया न हुआ होता।

सामान्य बैठक का नोटिस

अंतर्नियम 136

प्रत्येक सामान्य बैठक का नोटिस पूर्वोक्त ढंग से (क) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को सिवाय उनके जिन्होंने कोई पंजीकृत पता कंपनी को नहीं भेजा है तथा (ख) उस प्रत्येक व्यक्ति को जो ऐसे सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालिया हो जाने के फलस्वरूप शेयर का अधिकारी बना है जिसे उसकी मृत्यु अथवा दिवालिया न होने पर बैठक का नोटिस पाने का अधिकार होता, दिया जाएगा।

अंतरण का नोटिस अंतरिती पर बाध्यकारी

अंतर्नियम 137

किसी कानून के प्रवर्तन, अंतरण अथा अन्य किसी माध्यम से किसी शेयर पर अधिकार प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उक्त शेयर संबंधी उस प्रत्येक नोटिस से बाध्य होगा जो उसके नाम, पते अथवा स्वत्व के कंपनी द्वारा अधिसूचना अथवा पंजीकरण से पहले उस व्यक्ति को दिए जाने थे जिससे उसे अधिकार प्राप्त हुआ है।

नोटिस पर हस्ताक्षर

अंतर्नियम 138

कंपनी द्वारा दिए जाने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर या तो मुद्रित होंगे या हाथ से किए गए होंगे।

गोपनीयता धारा

अंतर्नियम 139

किसी भी सदस्य को, कंपनी के व्यापार संबंधी ब्यौरों के बारे में अथवा ऐसे किसी विषय के बारे में जो व्यापार रहस्य अथवा व्यापार गोपनीयता की कोटि में आता है अथवा किसी ऐसी गुप्त प्रक्रिया के बारे में जो व्यापार को चलाने में अपनाई जाती है अथवा ऐसे किसी अन्य विषय में, जिसे कंपनी के निदेशक कंपनी के सदस्यों के हित में सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना अहितकर मानते हैं, किसी भी सूचना अथवा खोज को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

अभिदाताओं के नाम, पता; तथा विवरण	इन अभिदाताओं द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर	गवाह
1) भारत के राष्ट्रपति (एच.वी.आर. आयंगार) सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति की ओर से	4998		
2) (के. बी. लाल) संयुक्त सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	1		
3) (सतीश चन्द्र) संयुक्त सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	1		
दिनांक 18 मई, 1956			

कंपनी की आसाधरण सामान्य बैठक जो 21–7–62 को आयोजित हुई, द्वारा पारित विशेष संकल्प की प्रतिलिपि :

"यह संकल्प लिया जाता है कि सभी विद्यमान अंतर्नियमों के स्थान पर उसके साथ संलग्न विनियम, पहचान के रूप में जिसकी एक प्रति पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए है, कंपनी के अनुमोदित अंतर्नियम होंगे तथा माने जाएंगे ।